रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-06102021-230186
CG-GJ-E-06102021-230186

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 5, 2021/आश्विन 13, 1943
No. 434] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 5, 2021/ASVINA 13, 1943

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय

(गांधीनगर, गुजरात)

अधिसूचना

गांधीनगर, 1 अक्तूबर, 2021

फा. सं. एन.एफ.एस.यू./ए.डी.एम./21.—शासी बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राष्ट्रीय न्यायालिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 41 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित प्रथम परिनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम प्रथम राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय, परिनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं -** (1) इन प्रथम परिनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20 में यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के प्राधिकरण अभिप्रेत हैं ;

(ग) "बोर्ड" से विश्वविद्यालय का शासी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(घ) "कैंपस" से विश्वविद्यालय का कैंपस अभिप्रेत है ;

(ड.) "कैंपस निदेशक" से विश्वविद्यालय का कैंपस निदेशक अभिप्रेत है ;

(च) "केन्द्रीय सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है ;

(छ) "संकायाध्यक्ष" से विश्वविद्यालय के संबंधित विद्यालय का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ज) "विभाग", "विद्यालय" और "केन्द्र" से विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर स्थापित विभाग, विद्यालय और "केन्द्र" क्रमश: अभिप्रेत है ;

(झ) "कार्य-पालक कुलसचिव" से विश्वविद्यालय का कार्य-पालक अभिप्रेत है ;

(ञ) "संकाय", से आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य (नियमित और संविदा) अभिप्रेत है ;

(ट) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है ;

(ठ) "अध्यक्ष" से यथास्थिति, विभाग, विद्यालय, केन्द्र, प्रभाग या ऐसी अन्य यूनिट का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ड) "अधिकारी" से विश्वविद्यालय के अधिकारी अभिप्रेत हैं ;

(ढ) "अध्यादेश" से विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यादेश अभिप्रेत हैं जो इस अधिनियम की धारा 42 के अधीन समय-समय पर बनाएं जाएं ;

(ण) "नियम" से बोर्ड द्वारा बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं ;

(त) "छात्र" से अधिकथित प्रक्रिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के विहित अध्ययन पाठ्यक्रम में अभ्यावेशित छात्र अभिप्रेत है और जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली में है ;

(थ) "अनुसूची" से इन परिनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(द) "विश्वविद्यालय" से राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर अभिप्रेत है ;

(ध) "वार्डन" से विश्वविद्यालय के छात्रावास का वार्डन अभिप्रेत है ;

(न) उन शब्दों और पदों के जो इन परिनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं के क्रमश: वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं ।

3. कुलाधिपति - (1) कुलाधिपति की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा देश के न्यायालयिक विज्ञान, शैक्षणिक या लोक जीवन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम तीन व्यक्तियों के पेनल से की जाएगी ।

(2) अधिनियम की धारा 13(3) के अनुसार, नियुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों से प्राप्त किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, ऐसी रिपोर्ट के संबंध में ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह आवश्यक समझता है ।

(3) कुलाधिपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुन:नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु उसकी पदावधि के समाप्त हो जाने पर भी, पदधारी कुलाधिपति तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।

4. सभा –

(1) सभा के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी ।

(2) सभा का वार्षिक अधिवेशन शासी बोर्ड के अनुरोध पर आयोजित होगा, किन्तु जो किसी वित्तीय वर्ष में 30 सितम्बर से बाद का न हो :

परंतु, यदि सभा का अधिवेशन नियत समयावधि के अन्दर किसी कारणवश आयोजित नहीं किया जाता है जिससे उपरोक्त समय सीमा को पूरा किया जा सके तो उन परिस्थितियों में धारा 16(2)(vi) की बाबत शासी बोर्ड का संकल्प गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया जाएगा ।

(3) सभा के वार्षिक अधिवेशन में, पूर्व वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण पर रिपोर्ट, आमदनी और व्यय के विवरण, यथा-संपरीक्षित तुलन-पत्र और आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलनों के साथ प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (5) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आमदनी तथा व्यय के विवरण, तुलन पत्र और वित्तीय प्राक्कलनों की एक प्रति वार्षिक अधिवेशन की तारीख से कम से कम सात दिन पहले प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी ।

(5) सभा का विशेष अधिवेशन शासी बोर्ड या कुलपति के अनुरोध पर आयोजित होगा या यदि कोई कुलपति नहीं है तो कार्यवाहक/भारसाधक कुलपति या वरिष्ठत्म कैंपस निदेशक द्वारा अनुरोध पर किया जा सकेगा ।

(6) सभा के लिए न्यूनतम चार सदस्य सभा के अधिवेशन के लिए कोरम बनाएंगे।

(7) कार्यपालक कुलसचिव, सभा की बैठकों को बुलाने में प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगा ।

5. शासी बोर्ड की शक्तियां और कृत्य - (1) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शासी बोर्ड:-

(क) समय-समय पर यथा-संशोधित केन्द्रीय सरकार के संनियमों के अनुसार अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारिवृंद के लिए पेंशन, भविष्य निधि और चिकित्सीय फायदों, बीमा, छुटटी यात्रा रियायत, छुट्टी नियमों तथा अन्य नियोजन फायदों के लिए और यदि अपेक्षित हो, राष्ट्रीय महत्व की अन्य संस्थाओं के समान उपबंध अधिकथित कर सकेगा ;

(ख) भारत में और विदेश में कैंपसों तथा केन्द्रों की स्थापना कर सकेगा ;

(ग) विद्यालयों, विभागों तथा केन्द्रों की स्थापना कर सकेगा ;

(घ) विश्वविद्यालयों की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम अधिकथित कर सकेगा ;

(ड.) शैक्षिक पुरस्कारों जैसे डिग्रियों, डिप्लोमाओं तथा विद्या संबंधी विशेष उपाधियों को प्रदान कर सकेगा ;

(च) अध्येतावृतियॉं, छात्रवृतियॉं, अध्ययनवृतियॉं, पदक, पुरस्कार और उनकी शर्तों का आदेश प्रदान कर सकेगा ;

(छ) विभिन्न विद्यालयों, विभागों और केन्द्रों में शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की संयुक्त नियुक्तियॉं करके अन्तर अनुशासनिक अनुसंधान का संवर्धन कर सकेगा ;

(ज) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठयक्रमों के लिए और परीक्षा, डिग्रियों, डिप्लोमाओं तथा प्रमाणपत्रों के लिए ली जाने वाली फीस की सरंचना अवधारित कर सकेगा ;

(झ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल संपत्ति का अंतरण कर सकेगा या उनके अंतरणों को स्वीकार कर सकेगा ;

(ञ) विश्वविद्यालय का कार्य करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचरों उपस्करों तथा अन्य साधनों का उपबंध कर सकेगा ;

(ट) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाओं में फेरबदल कर सकेगा, उन्हें कार्यान्वित और रद्द कर सकेगा ;

(ठ) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियेां तथा छात्रों की जो किसी कारणवश व्यथित महसूस करें, किसी भी शिकायत को ग्रहण कर सकेगा, उस पर न्यायनिर्णयन कर सकेगा और यदि ठीक समझें तो उसका निवारण कर सकेगा ;

(ड) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुद्रा (सील) का चयन कर सकेगा और ऐसी मुद्रा तथा उसके प्रयोग का उपबंध कर सकेगा ;

(ढ) अभ्यागत आचार्यों, प्रख्यात आचार्यों, पीठों और परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकेगा तथा ऐसी नियुक्तियों के निबंधन तथा शर्तें अवधारित कर सकेगा ;

(ण) ज्ञान के अभिवर्धन के लिए उद्योग और गैर-सरकारी अभिकरणों के साथ भागीदारी कर सकेगा और ऐसी भागीदारी से प्राप्त लाभों से समग्र-निधियॉं स्थापित कर सकेगा ;

(त) कुलपति को शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा जिनमें निम्नलिखित शक्तियॉं भी सम्मिलित हैं :-

(i) विभिन्न पदों को सृजित करना और अपेक्षानुसार ऐसे पदों पर नियुक्ति करना ।

(ii) कैंपस निदेशक, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य और अन्य शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, जो आवश्यक हो, की नियुक्ति, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर करना और स्थायी तथा संविदात्मक रिक्तियों को भरना ।

(iii) महाविद्यालयों/संस्थाओं को सहबद्ध करना और प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता प्रदान करना ।

(थ) कैंपस निदेशक, संकायाध्यक्ष, कार्यपालक कुलसचिव या वित्त अधिकारी या विश्वविद्यालय के या उसके द्वारा नियुक्त समिति में ऐसे अन्य सक्षम कर्मचारी या प्राधिकारी को कोई भी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगा ;

(द) अधिकारी या प्राधिकारी या ऐसी समिति द्वारा, प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए विनिश्चय (निर्णय), अनुसमर्थन/जानकारी के लिए शासी बोर्ड के समक्ष रखे जांएगे ।

(2) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका उपबंध विनियमों द्वारा किया जाए किन्तु ऐसा कोई विनियम नहीं बनाया जाएगा जो निवास, स्वास्थ्य, अनुशासन, प्रवेश, छात्रों के नामांकनों, नियुक्तियों का ढंग, परीक्षकों के कर्त्तव्यों, परीक्षाओं के संचालन तथा उनके मानकों या किसी अध्ययन पाठ्यक्रम की शर्त को विद्या परिषद से परामर्श किए बिना प्रभावित करता है ।

6. अकादमिक परिषद- (क) अकादमिक परिषद किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान कम से कम दो बार बैठक करेगी ।

(ख) अकादमिक परिषद की बैठकें सामान्यत: अध्यक्ष द्वारा उसकी स्वप्रेरणा से या विद्या परिषद के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किसी अध्यपेक्षा पर बुलाई जाएंगी ।

(ग) अकादमिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता सामान्यत: कुलपति द्वारा की जाएगी । उसकी अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय मुख्यालय का कैंपस निदेशक उसकी अध्यक्षता करेगा ।

(घ) बैठक में आधे से अधिक सदस्यों,चाहे व्यक्तिगत रूप या आभासी रूप से, की उपस्थिति बैठक का कोरम गठित करेगी ।

(ड.) ऐसे सभी विषयों पर, जिन पर अकादमिक परिषद की बैठकों में विचार किया गया है, उपस्थित सदस्यों, जिनमें अध्यक्ष भी है, बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जाएगा । मतों के बराबर-बराबर विभाजित होने की दशा में अध्यक्ष का निणार्यक मत होगा ।

(च) बैठक की लिखित सूचना, प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम से कम पंद्रह कार्य दिवस पूर्व कार्यपालक कुलसचिव द्वारा भेजी जाएगी । सूचना में बैठक का स्थान, तारीख और समय का उल्लेख होगा । सूचना विश्वविद्यालय में यथा अभिलिखित प्रत्येक सदस्य के पते पर डाक, इलेक्ट्रानिक मेल या फैक्स द्वारा परिदत्त की जाएगी और यदि वह इस प्रकार भेजी गई है तो परिदत्त की हुई समझी जाएगी :

परंतु आपात की दशा में, बैठक की सूचना का समय 72 घंटे होगा ।

(छ) उप नियम (च) के उपबंधों के होते हुए भी, अध्यक्ष, अत्यावश्यक विषयों पर विचार करने के लिए अल्पकालिक सूचना पर विद्या परिषद की बैठक बुला सकेगा ।

(ज) बैठक की कार्य सूची, बैठक से कम से कम सात कार्य दिवस पूर्व कार्यपालक कुलसचिव द्वारा सदस्यों को परिचालित की जाएगी :

परंतु किसी आपात की दशा में, ऐसी मद पर, जिसे कार्यसूची में शामिल नहीं किया है, बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से विचार किया जा सकेगा ।

(झ) कार्यसूची पर किसी मद के समावेशन के लिए सूचनाएँ बैठक के कम से कम दस कार्य दिवस पूर्व कार्यपालक कुलसचिव के पास पहुंच जानी चाहिए । अध्यक्ष ऐसी किसी मद को सम्मिलित करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा जिसके लिए सम्यक सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ञ) प्रक्रिया से संबंधित सभी विषयों के बारे में अध्यक्ष का विनिर्णय अंतिम होगा ।

(ट) कार्यपालक कुलसचिव, अध्यक्ष के समक्ष कार्यवृत्त को उसके द्वारा अनुमोदन किए जाने के लिए प्रारूप कार्यवृत्त प्रस्तुत करेगा ।

(ठ) अकादमिक परिषद की बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त कार्यपालक कुलसचिव द्वारा तैयार किया जाएगा और विद्या परिषद के सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा । संशोधनों, यदि कोई सुझाव दिया गया हो, सहित कार्यवृत्त विद्या परिषद की अगली बैठक में पुष्टि के लिए रखा जाएगा । कार्यवृत्त के पुष्ट किए जाने के पश्चात् कार्यवृत्त अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(ड.) आपाती मामलों में, कुलपति विद्या परिषद की शक्तियेां का प्रयोग कर सकेगा और विद्या परिषद की अगली बैठक में लिए गए निर्णयों की रिपोर्ट कर सकेगा ।

(ढ) किसी आपात स्थिति में, जहां कार्रवाई तत्काल आधार पर की जानी है और जहां संबंधित प्राधिकारी, संकाय, बोर्ड, परिषद,समिति का अनुमोदन अपेक्षित हो, वहां संकल्प के रूप में प्रस्तावित विनिश्चय संबंधित निकाय के सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा तथा सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होने पर, संकल्प तुरंत कार्यान्वित किया जाएगा ।

7. अकादमिक परिषद की शक्तियाँ और कर्तव्य - (1) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अकादमिक परिषद को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी :-

(क) विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक कार्यकलापों के अभिरक्षक के रूप में, विद्या परिषद शैक्षणिक कार्यकर्मों तथा पाठयक्रमों को स्वीकृत करने, उनकी अन्तर्वस्तु का तथा उसके किसी परिवर्तन को अनुमोदित करने और उसके संचालन का पर्यवेक्षण करने के लिए सशक्त है ।

(ख) यह शैक्षणिक उपाधियों तथा सम्मानों को प्रदान करने के लिए मानदंड तय करेगी और प्रत्येक व्यष्टिक पुरस्कार का अनुमोदन करेगी ।

(ग) यह छात्र कार्यक्रम के पर्यवसान के लिए मानदंड तय करेगी तथा सम्यक विचार विमर्श के साथ प्रत्येक पर्यवसान का अनुमोदन करेगी ।

(घ) अपने कर्तव्यों के पालन में, अकादमिक परिषद स्थायी और अन्य उप समितियॉं गठित करने, उनके सदस्यों की नियुक्ति करने और उनकी ऐसी शक्तियाँ जो कुल मिलाकर विद्या परिषद की शक्तियेां के समान न होंगी या उनसे अधिक नहीं होंगी,तय करने के लिए सशक्त है ।

(ड.) अकादमिक परिषद, विद्या संबंधी विषयों में त्वरित निर्णय लिए जाने को सुकर बनाने के लिए अध्यक्ष में शक्तियां निहित कर सकेगी। तथापि, उप-समितियेां के तथा अध्यक्ष और कृत्यकारियों के सभी विद्या संबंधी विनिश्चय पुष्टि के लिए विद्या परिषद को रिपोर्ट किए जांएगे ।

(ञ) शैक्षणिक कार्यक्रमों और पाठयक्रमों में अन्तर्ग्रहण, छात्रों के चयन के लिए प्रवेश के मानदंड तथा उनकी प्रगति तथा समापन संबंधी आवधिक जानकारी से संबंधित सभी शैक्षणिक विषयों की विद्या परिषद को उसकी जानकारी और अनुमोदन के लिए इसी प्रकार रिपोर्ट की जाएगी ।

(छ) अकादमिक परिषद शैक्षणिक पाठयक्रमों अंतर्ग्रहण पाठयविवरण आदि में परिवर्तनों का अनुमोदन करेगी ।

(ज) अकादमिक परिषद महाविद्यालयों/संस्थानों अनुसंधान केन्द्रों की सहबद्धता और मान्यता बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करेगी।

(झ) नए शैक्षणिक विभागों, विद्यालयों तथा केन्द्रों का सृजन या उनका उत्सादन या ऐसे अस्तित्वों, जो पहले से ही अस्तित्व में विद्यमान हैं, के प्रोफाइल में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की सिफारिश विद्या परिषद द्वारा बोर्ड को की जाएगी ।

(ञ) ऐसी नीति और अवसंरचनात्मक पहलें जिनका विश्वविद्यालय के अनुसंधान तथा विद्या संबंधी प्रोफाइल पर प्रभाव पड़ता है, इसकी टीका टिप्पणियों और सलाह के लिए नियमित आधार पर विद्या परिषद को प्रस्तुत की जाएंगी जो गैर-आबद्धकर होंगी किंतु बोर्ड को संसूचित की जानी चाहिएं ।

(ट) अकादमिक परिषद को ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को आमंत्रित करने की शक्तियां प्राप्त होंगी जिन्हें विद्या परिषद की बैठक में उपस्थित होने के लिए ठीक समझा जाए ।

8. कुलपति - (1) कुलपति की नियुक्ति :-

(क) विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया वर्तमान पदधारी के कार्यकाल के पूरा होने के कम से कम छह माह पहले आंरभ होगी और वर्तमान पदधारी के कार्यकाल के पूरा होने से तीस दिन पहले पूरी की जाएगी ।

(ख) एक खोज–सह-चयन समिति होगी जिसका गठन उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत निर्णय द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा जो शिक्षाविद, वैज्ञानिकों, प्रशासकों, न्यायपालिका,प्रौद्योगिकीविदों में से चयन किए गए पांच सुविख्यात व्यक्तियेां से मिलकर बनेगी और खोज-सह-चयन समिति के लिए गणपूर्ति समिति के सदस्यों का दो तिहाई होगी ।

(ग) अधिनियम में अधिकथित अर्हताओं के अलावा,केवल ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने नियुक्ति की तारीख को सत्तर वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, में हितों का विरोध नहीं होगा और जिन्होंने दो पदावधियां पूरी नहीं की हैं,पर भी कुलपति की नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा ।

(घ) खोज-सह-चयन समिति ऐसे तीन नाम जो अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (i) और खंड (ii) में दी गई अर्हताएं रखते हैं, गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी । कुलपति की नियुक्ति अधिनियम में यथा उल्लिखित केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

(2) कुलपति का हटाया जाना :-

(क) अधिनियम की धारा 21(3) में किसी बात के होते हुए भी, गृह मंत्रालय,भारत सरकार, कुलपति द्वारा अपना पद ग्रहण करने के पश्चात् किसी भी समय लिखित में आदेश द्वारा अक्षमता, अवचार या कानूनी उपबंधों के उल्लंधन के आधार पर कुलपति को पद से हटा सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कुलपति को उसके विरूद्ध किए जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में अपना कारण बताने का युक्ति युक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो:

परंतु यह और कि गृह मंत्रालय भारत सरकार ऐसा आदेश करने से पूर्व भी कुलपति से परामर्श करेगा :

परंतु यह भी कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार या कुलाधिपति ऐसा आदेश करने से पूर्व किसी भी समय कुलपति को, जांच लंबित रहने तक निलंबित कर सकेगा ।

(ख) उस दशा में,यदि कुलपति एक मास से अधिक की अवधि के लिए छुट्टी पर है या विदेश यात्रा पर है, तो कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम कैंपस निदेशक या ज्येष्ठतम संकायाध्यक्ष/आचार्य उक्त अवधि के दौरान कुलपति के रूप में कार्य करेगा ।

(ग) कुलपति, बोर्ड को तीन मास की सूचना देकर अपने पद का त्याग कर सकेगा जो गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सिफारिश के साथ अग्रेषित किया जाएगा और यदि तीन मास की अवधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह स्वीकार कर लिया गया समझा जाएगा और कुलपति सूचना अवधि की समाप्ति पर कार्यभार मुक्त हो जाएगा । यदि इस विषय पर कोई विनिश्चय नहीं किया गया है तो कुलपति सूचना अवधि के किसी भी समय अपना त्याग पत्र वापस ले सकेगा :

परंतु यह कि यदि शासी बोर्ड यह विनिश्चय करता है कि कुलपति सूचना अवधि के पूरा हुए बिना तत्काल प्रभाव से कार्यभार मुक्त किया जाए तब, कुलपति को शेष सूचना अवधि के लिए वेतन का भुगतान करके कार्यभार मुक्त किया जा सकता है ।

(3) कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

(क) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा ।

(ख) कुलपति को समय-समय पर यथा-संशोधित राष्ट्रीय महत्व की अन्य संस्थाओं के प्रधानों के मासिक वेतन, अन्य भत्तों तथा उपलब्धियों के समान मासिक वेतन, अन्य भत्तों तथा उपलब्धियों का भुगतान किया जाएगा । कुलपति किराया के भुगतान रहित सुज्जित निवासीय आवास का, ऐसी सीमाओं के अध्यधीन जो विनियमों,द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, साज-सामान या साज-सामान के नवीकरण के लिए उपबंध सहित उपयोग करने का हकदार होगा । ऐसे निवास के अनुरक्षण की बाबत कुलपति द्वारा कोई प्रभार नहीं चुकाया जाएगा । सभी साज-सामान और फिक्सरें विश्वविद्यालय की सम्पत्ति होगी ।

(ग) कुलपति समय-समय पर यथा-संशोधित केन्द्रीय सरकार के सन्नियमों के अनुसार और यदि अपेक्षित हो, राष्ट्रीय महत्व की अन्य संस्थाओं के समान चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार के संबंध में विशेषाधिकार के लिए पात्र होगा ।

(घ) कुलपति ऐसे सेवांत हित लाभों और भत्तों के लिए हकदार होगा जो शासी बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था के समान नियत और समय-समय पर यथा संशोधित किए जाएं :

परंतु जहां विश्वविद्यालय का या इसके द्वारा अनुरक्षित या इससे सहबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था का या किसी अन्य विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या इससे सहबद्ध किसी संस्था का कोई कर्मचारी कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे किसी भी ऐसी भविष्य निधि का अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा जिसका वह सदस्य है और विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्ति के खाते में उस भविष्य निधि में उसी दर पर अभिदाय करेगा जिस पर वह व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति से ठीक पूर्व अभिदाय कर रहा था :

परंतु यह कि जहां ऐसा व्यक्ति किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा ।

(ड.) कुलपति किसी कैलेंडर वर्ष में तीस दिन की दर पर पूर्ण वेतन पर छुट्टी के लिए हकदार होगा और प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के पहले दिन को प्रत्येक पन्द्रह दिन की दो अर्धवार्षिक किस्तों में अग्रिम रूप से छुट्टी उसके खाते में जमा की जाएगी :

परंतु यदि कुलपति किसी छ:माही के चालू रहने के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है और कुलपति के पदभार को छोड़ देता है तो छुट्टी सेवा के प्रत्येक संपूरित मास के लिए दाई दिन की दर से आनुपातिक रूप से जमा की जाएगी ।

(च) उप खंड (ड.) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त, कुलपति सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बीस दिन की दर पर अर्धवेतन छुट्टी के लिए भी हकदार होगा । यह अर्धवेतन छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी ली जा सकेगी । जब परिवर्तित छुट्टी ली जाती है तब अर्धवेतन छुट्टी की रकम का दो गुणा देय अर्धवेतन छुट्टी से विकलित किया जाएगा ।

9. कुलपति की शक्तियाँ- (1) अधिनियम की धारा 22 के अधीन रहते हुए कुलपति :-

(क) किसी प्राधिकरण के किसी विनिश्चय पर की गई कार्रवाई को निलंबित कर सकेगा, यदि उसकी यह राय है कि यह अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों के अधिकारातीत है या ऐसा विनिश्चय विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में नहीं है ।

(ख) किसी सदस्य को कार्यवाहियों में निरंतर बाधा डालने या रोकने के लिए या किसी सदस्य के अशोभनीय व्यवहार में संलिप्त होने के लिए प्राधिकरण, निकाय या समिति की बैठक से निलंबित कर सकेगा ।

(ग) किसी कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा और उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आंरभ कर सकेगा ; और

(घ) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि अधिनियम, परिनियमों अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों का पूर्णतया पालन किया जाता है ।

10. कैंपस निदेशक - (1) अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार, कैंपस निदेशक विश्वविद्यालय के कैंपस के शैक्षणिक,प्रशासनिक और अन्य कार्यकलापों का प्रबंध करने में कुलपति की सहायता करेगा ।

(2) निदेशक, विश्वविद्यालय का पूर्ण कालिक वेतन भोगी अधिकारी होगा ।

(3) कैंपस निदेशक की अधिकारिता संबंधित कैंपस तक ही सीमित होगी, तथापि, कुलपति विश्वविद्यालय के सभी कैंपसों की विभिन्न गतिविधियों की देखभाल करने के लिए किसी कैंपस निदेशक को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंप सकेगा ।

(4) कैंपस निदेशक की नियुक्ति शासी बोर्ड के अनुमोदन से इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी । कैंपस निदेशक की क्षेत्र में विख्यात विशेषज्ञ को आमंत्रित करके, नियुक्ति करने की दशा में, नियुक्ति शासी बोर्ड के अनुमोदन से की जाएगी ।

(5) सीधे चयन के माध्यम से कैंपस निदेशक के पद के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करेंगे –

(क) अभ्यर्थी/व्यक्ति को प्रथम श्रेणी के साथ पी.एच.डी. या मास्टर डिग्री/मौलिक विज्ञान या शिक्षा की अन्य सहबद्ध शाखाओं में समतुल्य होना चाहिए ।

(ख) उसके पास कम से कम पन्द्रह वर्ष का शिक्षण या अनुसंधान का अनुभव होना चाहिए जिसमें से किसी प्रतिष्ठित संस्था/विश्वविद्यालय में पूर्ण कालिक आचार्य के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव; (उद्योग अनुभव की दशा में, उसके पास ज्येष्ठ स्तर पर, कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव आचार्य या समतुल्य स्तर पर होना चाहिए) ।

(ग) उसने कम से कम पांच पी.एच.डी. के छात्रों का मार्गदर्शन किया हो :

परंतु आमंत्रण द्वारा भर्ती की दशा में, कुलपति को आचार्य की पंक्ति से अन्यून स्तर के वृतिक अनुभव पर विचार करके सन्नियमों को शिथिल करने की शक्ति होगी ।

(6) कैंपस निदेशक की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य निबंधन तथा शर्तें वे होंगी जो शासी बोर्ड द्वारा विहित की जाएं और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में कैंपस निदेशक के समान हों ।

(7) कैंपस निदेशक पैंसठ वर्ष की आयु पूरी होने तक या समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सरकार के सन्नियमों के अनुसार और यदि अपेक्षित हो तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के समान पद धारण करेगा :

परंतु आमंत्रण द्वारा नियुक्ति की दशा में, कुलपति को आचार्य की पंक्ति से अन्यून स्तर के वृतिक अनुभव पर विचार करके संन्नियमों को शिथिल करने की शक्ति होगी ।

(8) कैंपस निदेशक किराए के भुगतान रहित सुज्जित निवासीय आवास का, ऐसी सीमाओं के अध्यधीन, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, साज-सामान या साज-सामान के नवीकरण के उपबंध सहित उपयोग करने का हकदार होगा । ऐसे निवास के अनुरक्षण की बाबत कैंपस निदेशक कोई प्रभार नहीं चुकाएगा । सभी साज-सामान और फिक्सरें विश्वविद्यालय की संपत्ति होगी ।

(9) कैंपस निदेशक, विश्वविद्यालय के स्थायी गैर-प्रावकाश कर्मचारी को यथा अनुज्ञेय छुट्टी के लिए हकदार होगा और समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सरकार के संन्नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय की भविष्य निधि या पेंशन, अंशदायी भविष्य निधि का और यदि अपेक्षित हो, तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के मार्गदर्शी सिद्धातों, जो समय-समय पर संशोधित किए जाएं, के समान सदस्य होगा :

परंतु जहां विश्वविद्यालय का या इसके द्वारा अनुरक्षित या इससे सहबद्ध किसी महाविद्यालय या किसी संस्था का या किसी अन्य विश्वविद्यालय का या ऐसे किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या इससे सहबद्ध किसी संस्था का कोई कर्मचारी, कैंपस निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे किसी भी ऐसी भविष्य निधि का अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा जिसका वह सदस्य है और विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्ति के खाते में उस भविष्य निधि में उसी दर पर अभिदाय करेगा जिस पर वह व्यक्ति कैंपस निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति से ठीक पूर्व अभिदाय कर रहा था :

परंतु यह कि जहां ऐसा व्यक्ति किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा ।

(10) कैंपस निदेशक समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सरकार के संनियमों के अनुसार चिकित्सीय परिचर्या और उपचार के संबंध में विशेषाधिकार का पात्र होगा ।

(11) किसी कारणवश कैंपस निदेशक का पद अचानक रिक्त हो जाने की दशा में, नियमित आधार पर पद को भरने की प्रक्रिया ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी ।

(12) उस समय जब कैंपस निदेशक का पद रिक्त हो जाता है या जब कैंपस निदेशक बीमारी या अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब कुलपति, कैंपस निदेशक के स्थापन्न रूप में पद पर कार्य करने के लिए कैंपस निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त अर्हित व्यक्ति को, यथा स्थिति, कैंपस निदेशक द्वारा पद भार ग्रहण करने तक या किसी नए कैंपस निदेशक द्वारा कर्तव्य भार ग्रहण करने तक नियुक्त कर सकेगा ।

(13) उस दशा में, जब कैंपस निदेशक एक मास से अधिक अवधि के लिए छुट्टी पर है या विदेश यात्रा पर है तब विश्वविद्यालय के ज्येष्ठतम संकायाध्यक्ष/आचार्य को कुलपति द्वारा कैंपस निदेशक नियुक्त किया जाएगा ।

11. कैंपस निदेशक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व - (1) कैंपस निदेशक विश्वविद्यालय का शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा जिसका अधिकार क्षेत्र विश्वविद्यालय के संबंधित कैंपस पर होगा । तथापि, कुलपति उसे अन्य कैंपस का अतिरिक्त प्रभार/ उत्तरदायित्व सौंप सकता है । कैंपस निदेशक :-

(क) शैक्षणिक विकास कार्यक्रम जिनमें स्नातक/स्नातकोत्तर शिक्षण, अनुसंधान प्रशिक्षण, परामर्श, विस्तार क्रियाकलाप और संबंधित विश्वविद्यालय के सहयोगात्मक कार्यक्रम भी हैं, के लिए प्रधान शैक्षणिक नियोजन तथा शैक्षणिक लेखा परीक्षा अधिकारी होगा ;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा, अनुसंधान और अन्य सुसंगत सेवाओं में गुणवत्ता संबंधित विश्वविद्यालय कैंपस द्वारा बनाई रखी जाती है ;

(ग) विश्वविद्यालय कैंपस में बौद्धिक अन्योन्यक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए तथा अनुंसधान और विकास की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा उद्योग जगत अन्योन्यक्रिया को मजबूत करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि उनके शैक्षणिक कार्यक्रमों में कैंपस की दीर्धकालिक और अल्पकालिक विकास योजनाएं सम्यकत: तैयार की जाती हैं और सुसंगत प्राधिकारियों,निकायों, समितियों और अधिकारियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं ;

(ड.) विश्वविद्यालय कैंपस में नए संस्थानों/ विद्यालयों, विभागों, उच्चतर विद्या की संस्थाओं, नए महाविद्यालय की सहबद्धता अनुसंधान तथा विशेषीकृत अध्ययनों, ज्ञान संसाधन केन्द्र, शैक्षणिक सेवा यूनिटों,पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा संग्रहालयों की स्थापना के लिए शासी बोर्ड को प्रस्ताव करेगा ;

(च) विश्वविद्यालय निधि से तथा अन्य वित्तपोषण अभिकरणों से प्राप्त निधियों से विश्वविद्यालय या संबंधित कैंपसों की द्वारा अपेक्षित अन्य पदों के सृजन के लिए और ऐसे पदों के लिए अर्हताओं, अनुभव और वेतनमानों का प्रस्ताव शासी बोर्ड को करेगा ;

(छ) संबंधित कैंपस के सहयोगात्मक तथा विकास कार्यक्रमों के लिए निधि सृजित करने के लिए बाह्य वित्तपोषण अभिकरणों के साथ प्रधान संपर्क अधिकारी होगा और उनके उचित उपयोग को मानीटर करेगा ;

(ज) संबंधित कैंपसों के भीतर व्यापक परिप्रेक्ष्य योजना, वार्षिक योजना तैयार करने तथा सुव्यवस्थित क्षेत्र सर्वेक्षण करवाने के लिए जिम्मेदार होगा ;

(झ) विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, महाविद्यालयों और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और वैज्ञानिक, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने तथा उसका संवर्धन करने के लिए संपर्क स्थापित करने हेतु जिम्मेदार होगा ;

(ञ) भिन्न-भिन्न विकासात्मक तथा सहयोगात्मक कार्यक्रमों में हुई प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट को कुलपति को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा जो उसे शासी बोर्ड के समक्ष रखेगा ;

(ट) संबंधित कैंपस के लिए स्वीकृत वार्षिक बजट के भीतर पूंजी और साथ ही राजस्व व्यय के मद्दे खर्च करने की सभी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा ;

(ठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कत्तव्यों का पालन करेगा जो समय-समय पर कुलपति द्वारा अधिनियम के अधीन विहित किए जाएं या समनुदेशित किए जाएं जिनके अन्तर्गत किसी अन्य कैंपस का अतिरिक्त प्रभार या कुलपति द्वारा यथा समनुदेशित कर्त्तव्य भी हैं ।

12. संकायाध्यक्ष – अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, विश्वविद्यालय के विद्यालयों के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी –

(1) प्रत्येक विद्यालय के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रमानुसार संबंधित विद्यालय के नियमित आचार्यों में से की जाएगी । तथापि, यदि विद्यालय में कोई नियमित आचार्य नहीं है तो कुलपति किसी भी विद्यालय में संकायाध्यक्ष की जिम्मेदारियों की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय के अन्य विद्यालय से किसी अन्य नियमित आचार्य की नियुक्ति कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक विद्यालय का सहयुक्त संकायाध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के क्रम में संबंधित विद्यालय के नियमित सहयुक्त आचार्यों में से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(3) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब संकायाध्यक्ष बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो कुलपति संबंधित विद्यालय के सहयुक्त संकायाध्यक्ष को संकायाध्यक्ष का उत्तरादायित्व सौंप सकेगा ।

(4) संकायाध्यक्ष विद्यालय का प्रधान होगा और विद्यालय में शिक्षण तथा अनुसंधान के मानकों के संचालन तथा रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होगा और उसके पास ऐसे अन्य कृत्य होंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

(5) संकायाध्यक्ष, संबंधित कैंपस के कैंपस निदेशक के सीधे अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण में कार्य करेगा ।

(6) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, अध्ययन बोर्डों या विद्यालय की समितियों की किसी भी बैठक में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार होगा किन्तु उसे उनमें मताधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक वह उसका सदस्य न हो ।

(7) परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, शैक्षणिक कार्यकलापों, छात्र कल्याण, संकाय कार्यकलाप, अनुसंधान और विकास, अर्न्तराष्ट्रीय संबंधों तथा अन्य जो सामान्य प्रशासन के लिए ठीक समझे जाएं, के संकायाध्यक्षों की नियुक्त कर सकेगा ।

13. कार्यपालक कुलसचिव – (1) अधिनियम की धारा 25(2)(iii) के अनुसार, कार्यपालक कुलसचिव, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध करने में कुलपति की सहायता करेगा ।

(2) कार्यपालक कुलसचिव की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कुलपति द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से की जाएगी और शासी बोर्ड द्वारा उसका अनुमोदन किया जाएगा ।

(3) वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करने का पात्र होगा :

परंतु कार्यपालक कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी, अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं हो जाता है और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है या एक वर्ष की अवधि समाप्त होने तक, इनमें जो भी पूर्वत्तर हो :

परंतु यह और कि संक्रमणकालीन उपबंध के रूप में किसी राज्य विश्वविद्यालय से किसी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की संक्रियाओं तथा क्रियाकलापों के निर्बाध संक्रमण तथा निरन्तरता को सुकर बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय का प्रथम कार्यपालक कुलसचिव अधिकतम पैंसठ वर्ष की आयु तक पद पर बना रहेगा ।

(4) कार्यपालक कुलसचिव की उपलब्धियां, सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सरकार के संनियमों के अनुसार और यदि अपेक्षित हो, तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के समान शासी बोर्ड द्वारा विहित की जाएं ।

(5) कार्यपालक कुलसचिव, ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं, किराया का भुगतान किए बिना सुसज्जित निवासीय आवास का उपयोग, साज-सामान या साज-सामान के नवीकरण के उपबंध के साथ, करने का हकदार होगा । ऐसे निवास के अनुरक्षण की बाबत कार्यपालक कुलसचिव कोई प्रभार नहीं चुकाएगा । सभी साज-सामान और फिक्सर विश्वविद्यालय की संपत्ति होगी ।

(6) कार्यपालक कुलसचिव विश्वविद्यालय के स्थायी गैर-प्रावकाश कर्मचारी को यथा अनुज्ञेय छुट्टी के लिए हकदार होगा और समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सरकार के संनियमों के अनुसार और यदि अपेक्षित हो, तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के समान विश्वविद्यालय की भविष्य निधि या पेंशन या अंशदायी भविष्य निधि स्कीम का संदाय होगा :

परंतु जहां विश्वविद्यालय का या इसके द्वारा अनुरक्षित या इससे सहबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था का या किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालय का या ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या इससे सहबद्ध किसी संस्था का कोई कर्मचारी कार्यपालक कुलसचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे किसी भी ऐसी भविष्य निधि का अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा जिसका वह सदस्य है और विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्ति के खाते में उस भविष्य निधि में उसी दर पर अभिदाय करेगा जिस पर वह व्यक्ति कार्यपालक कुलसचिव के रूप में अपनी नियुक्ति से ठीक पूर्व अभिदाय कर रहा था :

परंतु यह कि जहां ऐसा व्यक्ति किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा ।

(7) कार्यपालक कुलसचिव समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सरकार के संनियमों के अनुसार और यदि अपेक्षित हो, राष्ट्रीय महत्व की अन्य संस्थाओं के समान चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार के संबंध में विशेषाधिकार के लिए पात्र होगा ।

(8) जब कार्यपालक कुलसचिव का पद रिक्त हो जाता है या कार्यपालक कुलसचिव बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब पद के कर्त्तव्य समतुल्य ओहदे जैसे आचार्य द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, निष्पादित किए जाएंगे ।

(9) (क) कार्यपालक कुलसचिव को, ऐसे कर्मचारियों, अध्यापक तथा शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द को छोड़कर, जो शासी बोर्ड के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की तथा जांच लंबित रहने तक निलंबित करने की, उनको चेतावनी देने की या उन पर परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित करने या वेतन वृद्धि रोकने की शक्ति प्राप्त होगी :

परंतु ऐसी कोई शास्ति जब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक संबंधित व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्ति युक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(ख) उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने वाले कार्यपालक कुल सचिव के किसी आदेश के विरूद्ध कुलपति को अपील की जाएगी ।

(ग) उस दशा में, जब जांच में यह प्रकट हो जाता है कि कार्यपालक कुलसचिव की शक्ति से परे दंड अपेक्षित है तो कार्यपालक कुलसचिव, जांच के समाप्त होने पर, कुलपति को अपनी सिफारिश के साथ रिपोर्ट करेगा :

परंतु कोई शास्ति अधिरोपित करने वाले कुलपति के आदेश के विरूद्ध अपील बोर्ड को की जाएगी ।

(10) कार्यपालक कुलसचिव शासी बोर्ड, विद्यापरिषद और वित्त समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा ।

14. कार्यपालक कुलसचिव के कर्तव्य और उत्तरदायित्व – (1) अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य संपत्ति जो शासी बोर्ड उसे उसके भारसाधन में सौंपे,का अभिरक्षक होना ;

(2) सभा, शासी बोर्ड विद्या परिषद और इन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त समितियों में, से किसी भी समिति की बैठक बुलाने वाली सभी सूचनाएं जारी करना ;

(3) सभा, शासी बोर्ड, विद्या परिषद और इन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त समितियों में से किसी समिति की सभी बैठकों के कार्यवृत्त रखना ;

(4) सभा, शासी बोर्ड और विद्या परिषद का शासकीय पत्र-व्यवहार संचालित करना ;

(5) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों की कार्यसूची की प्रतियां जारी किए जाने के शीध्र पश्चात् तथा ऐसी बैंठकों के कार्यवृत्त सरकार को देना ;

(6) विश्वविद्यालय द्वारा इसके विरूद्ध किए गए मुकदमों या की गई कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, इस प्रयोजन के लिए मुख्तार नामे पर हस्ताक्षर करना तथा अभिवचनों को सत्यापित करना या अपने प्रतिनिधि भेजना; और

(7) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं या जिनकी समय-समय पर शासी बोर्ड या कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाए ।

15. वित्त अधिकारी – (1) अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनतम अर्हता के साथ विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी रीति में, ऐसी उपलब्धियों पर और सेवा के ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा और ऐसी शक्तियेां का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमेां में अधिकथित किए जाएं ।

(2) वित्त अधिकारी की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कुलपति द्वारा की जाएगी और उसका आगे अनुमोदन शासी बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

(3) वह विश्वविद्यालय पूर्ण कालिक वेतन भोगी अधिकारी होगा ।

(4) उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(5) वित्त अधिकारी की उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के संनियमों के अनुसार और समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के समान शासी बोर्ड द्वारा विहित की जाएं ।

(6) परंतु वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होगा :

परंतु यह और कि वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी, अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं हो जाता है और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है या एक वर्ष की अवधि समाप्त होने तक, इनमें जो भी पूर्वत्तर हो ।

(7) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो जाता है या जब वित्त अधिकारी बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो पद के कर्त्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें ।

(8) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा किंतु ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा ।

(9) वित्त अधिकारी :

(क) विश्वविद्यालय की निधियों पर साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसे, जहां तक उसकी वित्तीय नीति का संबंध है, सलाह देगा, और

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो शासी बोर्ड द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं या जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

(10) शासी बोर्ड के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त अधिकारी :

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति और निवेश को धारण करेगा और उसका प्रबंध करेगा जिसके अन्तर्गत न्यास और नैसर्गिक संपत्ति भी है ।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए शासी बोर्ड द्वारा नियत सीमाएं अधिक नहीं होती हैं और सभी धनराशियां उस प्रयोजन के लिए खर्च की जाती हैं जिसके उन्हें मंजूर किया गया है या आवंटित किया गया है ।

(ग) विश्वविद्यालय के लेखाओं तथा बजट को तैयार करने और उनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा और उन्हें शासी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(घ) नकदी और बैंक अतिशेष की स्थिति पर तथा विनिधानों की स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखेगा ।

(ड.) पार्किंग, विश्वविद्यालयों की निधियों और खर्चों के विनिधान तथा उनकी आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होगा ।

(च) राजस्व के संग्रहण की प्रगति की निगरानी करेगा और किए गए संग्रहण की पद्धतियों के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होगा ।

(छ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि फर्नीचर और उपस्करों के रजिस्टर का अद्यतन रखरखाव किया जाता है और सभी कार्यालयों, विशेष केन्द्रों, विशेषीकृत प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए महाविद्यालयों तथा संस्थाओं में उपस्करों तथा अन्य उपभोज्य सामग्री की जांच पड़ताल की जाती है ।

(ज) अप्राधिकृत खर्च तथा अन्य वित्तीय अनियमिताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा और व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देगा ।

(झ) किसी भी कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित संस्थान से ऐसी कोई जानकारी या विवरणी मांग सकेगा जो वह अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे ।

(11) विश्वविद्यालय को संदेय किसी धनराशि के लिए वित्त अधिकारी या शासी बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्यकत: प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दी गई कोई रसीद ऐसी धनराशि के संदाय के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी ।

16. अन्य अधिकारी – (1) अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, अन्य अधिकारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षाओं के अनुसार की जा सकेगी ।

(2) अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, शासी बोर्ड परिनियमों के द्वारा, विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों या अधिकारियों की घोषणा कर सकेगा और यथा स्थिति, प्रत्येक ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी की शक्तियों, कृत्यों और कर्त्तव्यों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

17. वित्त समिति – (1) वित्त समिति, अधिनियम की धारा 28 के अनुसार सदस्यों से मिलकर बनेगी और अधिनियम की धारा 29 में विहित किए गए अनुसार शक्तियों का प्रयोग करेगी ।

(2) समिति, सामान्यत: किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान लेखाओं की परीक्षा करने तथा व्यय के लिए प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिए दो बार बैठक कर सकेगी ।

(3) समिति की साधारणत: बैठक अध्यक्ष द्वारा स्वप्रेरणा से या वित्त अधिकारी के अनुरोध पर या समिति के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अपेक्षा पर बुलाई जा सकेगी ।

(4) समिति, विश्वविद्यालय से संबंधित किसी वित्तीय विषय पर या तो स्वप्रेरणा से या बोर्ड या कुलपति की सलाह पर बोर्ड के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करेगी और अपनी सिफारिशें करेगी ।

(5) समिति संसाधन जुटाने से संबंधित सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करेगी ।

(6) समिति ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जिनका, बोर्ड समय-समय पर विनिश्चय करे ।

(7) ऐसे पदों के सृजन तथा उन सभी मदों जिन्हें बजट में शामिल नहीं किया गया है, से संबंधित सभी प्रस्तावों की वित्त समिति द्वारा उन पर बोर्ड द्वारा विचार किए जाने से पूर्व समीक्षा की जानी चाहिए ।

(8) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं तथा वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार किए जाने तथा टीका टिप्पणियों के लिए वित्त समिति के समक्ष रखा जाएगा और तत्पश्चात, अनुमोदन के लिए शासी बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा । कम से कम दो तिहाई सदस्य गणपूर्ति गठित करेंगे ।

(9) विश्वविद्यालय के लेखों ऐसे आन्तरिक संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम,1949में यथा परिभाषित चार्टर्ड एकाउंटेंट या चार्टर्ड एकाउन्टेंट की फर्म या सभी लेखा बहियों की समवर्ती संपरीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट की फर्म होगी और ऐसी आवधिक आंतरिक संपरीक्षा रिपोर्ट पुनर्विलोकन के लिए बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी ।

18. सहबद्धता और मान्यता बोर्ड – (1) अधिनियम की धारा 30(1) के अनुसार सहबद्धता और मान्यता बोर्ड विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेश लेने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(2) कुलपति निम्नलिखित मिलकर बने सहबद्धता और मान्यता बोर्ड के सदस्यों को नामनिर्देशित करेगा –

i. कुलपति एनएफएसयु –अध्यक्ष

ii. कैंपस निदेशक (एचक्यू) – सदस्य

iii. कार्यपालक कुलसचिव – सदस्य

iv. एक कैंपस निदेशक जिसे एनएफएसयू के कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाना है – सदस्य

v. एनएफएसयू गांधी नगर कैंपस के दो ज्येष्ठ संकायाध्यक्ष – सदस्य

vi. सुसंगत विषय वस्तु में कुलपति का एक नामनिर्देशिती – सदस्य

vii. विद्या परिषद का एक सदस्य – सदस्य

viii. वित्त समिति का एक सदस्य – सदस्य

ix. वित्त अधिकारी – सदस्य

x. विधि के क्षेत्र से एक विशेषज्ञ या सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक एवं विधि) – सदस्य

xi परीक्षा नियंत्रक– सदस्य

(3) सहबद्धता और मान्यता बोर्ड, कुलपति को प्रस्तावों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(4) ऐसी रिपोर्ट विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ रखी जाएगी ।

(5) सहबद्धता और मान्यता के लिए विस्तृत प्रक्रिया सहबद्धता और मान्यता बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

19. चयन समिति – (1) कैंपस निदेशक, आचार्य, सहयुक्त आचार्य,सहायक आचार्य कार्यपालक कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष और अन्य के पद पर नियुक्ति के लिए शासी बोर्ड को सिफारिश करने के लिए चयन समिति होगी ।

(2) चयन समिति शासी बोर्ड के अनुमोदन से समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सरकार के संनियमों के अनुसार और यदि अपेक्षित हो समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार गठित की जाएगी ।

(3) कुलपति, या उसकी गैर हाजरी में मुख्यालय के कैंपस निदेशक या कुलपति द्वारा नामनिर्देशित ज्येष्ठतम संकायाध्यक्ष/आचार्य चयन समिति की बैठक बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा:

परंतु चयन समिति की बैठक कुलपति के नामनिर्देशिती और शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञों के पूर्व परामर्श के पश्चात् और उनकी सुविधा के अधीन रहते हुए नियत की जाएगी :

परंतु यह और कि चयन समिति की कार्यवाहियां तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक –

(क) जहां कुलपति के नामनिर्देशिती की और शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित व्यक्तियों की संख्या कुल मिलाकर चार हो, उनमें से कम से कम तीन बैठक में उपस्थित हो, और

(ख) जहां कुलपति के नामनिर्देशिती और शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित व्यक्तियेां की संख्या कुल मिलाकर तीन हो, उनमें से कम से कम दो बैठक में भाग लेते हों ।

(4) गठन और चयन समिति द्वारा अनुसरण किए जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में अभिकथित की जाएगी ।

20. नियुक्ति का विशेष ढंग – (1) परिनियम की धारा (19) मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शासी बोर्ड, आचार्य या सहयुक्त आचार्य के पद या विश्वविद्यालय में किसी अन्य समतुल्य शैक्षणिक पद को स्वीकार करने के लिए उच्च विद्या संबंधी उपाधि के तथा वृतिक उपलब्धि के व्यक्ति को अध्यादेशों में यथा अधिकथित रीति में और निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार आमंत्रित कर सकेगा :

परंतु शासी बोर्ड ऐसे व्यक्तियेां की नियुक्ति के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अधिसंख्य पद भी सृजित कर सकेगा :

परंतु यह और कि इस प्रकार सृजित अधिसंख्य पदों की संख्या विश्वविद्यालय में कुल पदों का पांच प्रतिशत से अधिक न हो ।

(2) शासी बोर्ड, अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार संयुक्त परियोजना आरंभ करने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे शिक्षाविद की नियुक्ति कर सकेगा ।

21. नियत कार्यकाल के लिए नियुक्ति – (1) कुलपति, परिनियम की धारा 19 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयनित पात्र व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझें,नियत कार्यकाल के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

22. समितियां – (1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण उतनी स्थायी या विशेष समितियां नियुक्त कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और ऐसी समितियों में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे प्राधिकरण के सदस्य न हों ।

(2) खंड (1) के अधीन नियुक्त समिति, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकरण द्वारा पश्चातवर्ती पुष्टि के अधीन रहते हुए उसे प्रत्यायोजित किसी विषय पर कार्रवाई कर सकेगी ।

23. अध्यापकों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें और आचार संहिता आदि – (1) विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द, तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सरकार के

सन्नियमों के अनुसार विहित संनियमों के अनुसार और यदि अपेक्षित हो, राष्ट्रीय महत्व की अन्य संस्थाओं के समान सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता, सेवांत फायदें, सेवा-निवृति आयु आदि द्वारा शासित होंगे ।

(2) शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की उपलब्धियां, चिकित्सा, छुट्टी नियम, छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी), सेवांत फायदे, भत्ते और अन्य फायदे तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें वे होंगी जो समय-समय यथा संशोधित केन्द्रीय सरकार के संनियमों के अनुसार और यदि अपेक्षित हो राष्ट्रीय महत्व की अन्य संस्थाओं के समान अध्यादेशों में अधिकथित किए जाएं ।

24. अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा सेवा की शर्तें एवं आचार संहिता – (1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द से भिन्न, विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में, सेवा के वैसे ही निबंधनों और शर्तों तथा वैसी आचार संहिता द्वारा, जो अध्यादेश में विनिर्दिष्ट हैं और समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सरकार के संनियमों के अनुसार विहित संनियमों के अनुसार और यदि अपेक्षित हो राष्ट्रीय महत्व की अन्य संस्थाओं के समान शासित होंगे ।

(2) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द से भिन्न विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के सदस्यों की उपलब्धियां, चिकित्सा,छुट्टी नियम,छुट्टी यात्रा-रियायत (एलटीसी), सेवांत फायदे, भत्ते और अन्य फायदे तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें वे होंगी जो समय-समय यथा संशोधित केन्द्रीय सरकार के संनियमों के अनुसार और यदि अपेक्षित हो राष्ट्रीय महत्व की अन्य संस्थाओं के समान अध्यादेशों में अधिकथित किए जाएं ।

(3) ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व विश्वविद्यालय के गुजरात कैंपस और दिल्ली कैंपस में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति उसी कार्यकाल तक, वैसे ही पारिश्रमिक पर और वैसे ही निबंधनों तथा शर्तों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विषयों के बारे में वैसे ही अधिकारों तथा विशेषाधिकारों सहित विश्वविद्यालय में अपना पद धारण करेगा या सेवा करेगा जैसे कि उसने वह पद धारण किया होता यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता और ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसा कार्यकाल, पारिश्रमिक एवं निबंधंन तथा शर्तें परिनियमेां द्वारा सम्यकत: बदल नहीं दी जाती हैं, जो ऐसे कर्मचारी की सेवा शर्तों के लिए हानिकर नहीं हैं ।

25. कर्मचारियों के लिए फायदे तथा सुविधाएं – (1) विभिन्न फायदे तथा सुविधाएं पात्र कर्मचारियेां के लिए उपलब्ध होंगी जो नियुक्ति पत्र में उल्लिखित की जाएं और उनके द्वारा धारित ऐसी नियुक्तियों की प्रकृति वह होगी जिनका अध्यादेश में उपबंध किया जाए ।

(2) दीर्घावकाश और छुट्टी : विश्वविद्यालय के कर्मचारी अध्यादेश में यथा अधिकथित दीर्घावकाश और छुट्टी के लिए हकदार होंगे ।

26. सेवानिवृति फायदे – (1) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए गठित,अनुरक्षित और प्रशासित अभिदायी भविष्य निधि-सह-उपदान स्कीम/सामान्य भविष्य निधि-सह-पेंशन-सह उपदान स्कीम/ नई पेंशन स्कीम वह होगी जो समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सरकार के संनियमेां के अनुसार तथा राष्ट्रीय महत्व की अन्य संस्थाओं के समान विहित की जाएं।

27. दीर्घावकाश और छुट्टी – (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सरकार के संनियमों के अनुसार तथा यदि अपेक्षित हो राष्ट्रीय महत्व की अन्य संस्थाओं के समान यथा उपबंधित दीर्घावकाश, छुट्टी, एलटीसी और अन्य फायदों के लिए हकदार होगा ।

(2) जब कोई कर्मचारी किसी अन्य संस्थान या किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी राज्य विश्वविद्यालय या केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी अन्य संस्थान/संगठन से विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करता है तो ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से ठीक पूर्व की तारीख को उसके खाते में जमा छुट्टी अग्रनीत की जाएगी और वे छुट्टी संचयन की विहित सीमा के अधीन रहते हुए उसके छुट्टी खाते में जमा की जाएगी । परंतु यह कि इस प्रयोजन के लिए, राज्य विश्वविद्यालय या केन्द्रीय/राज्य सरकार का कोई अन्य संस्थान/संगठन जिससे कोई कर्मचारी संस्थान में कार्यभार ग्रहण करता है, ऐसी अग्रनीत की जाने वाली छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन दायित्व का उन्मोचन करेगा ।

28. कर्मचारिवृन्द के लिए निवास स्थान – (1) विश्वविद्यालय के कर्मचारी समय-समय पर शासी बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय के कैंपस के भीतर मकान, यदि उपलब्ध हो, के आवंटन के लिए पात्र होंगे ।

29. ज्येष्ठता सूची – (1) जब कभी परिनियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चुक्रानुक्रम द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के किसी पद को धारण करना है या उसका सदस्य होना, तब ऐसी ज्येष्ठता सूची उसकी श्रेणी में ऐसे व्यक्ति की निरंतर सेवा की अवधि के अनुसार और ऐसे अन्य सिद्धांत के अनुसार, जो शासी बोर्ड समय-समय पर विहित करे, अवधारित की जाएगी ।

(2) कार्यपालक कुलसचिव का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे व्यक्तियेां के प्रत्येक वर्ग की बाबत जिनको इन परिनियमेां के उपबंध लागू होते हैं, उपखंड (1) के उपबंधों के अनुसार संपूर्ण और अद्यतन ज्येष्ठता सूची तैयार करे और उसे बनाए रखे ।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियेां की किसी विशिष्ट ग्रेड में निंरतर सेवा की समान अवधि है या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता अन्यथा सन्देहास्पद है, तब कार्यपालक कुलसचिव, स्व प्रेरणा से और ऐसे किसी व्यक्ति के अनुरोध पर विषय को शासी बोर्ड को प्रस्तुत करेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

30. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का हटाया जाना – (1) जहां विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के किसी सदस्य अन्य कर्मचारी के विरूद्ध अवचार का कोई आरोप है वहां अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के मामले में कुलपति और अन्य कर्मचारी के मामले में नियुक्ति करने के लिए समक्ष प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है) लिखित में, आदेश द्वारा यथा स्थिति, ऐसे अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निबंलित कर सकेगा और ऐसी परिस्थितियों, जिनमें आदेश किया गया था, की रिपोर्ट तुरंत शासी बोर्ड को करेगा :

परंतु शासी बोर्ड, यदि उसकी यह राय है कि मामले की परिस्थितियों में अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य का निलंबित किया जाना अपेक्षित नहीं है तो वह ऐसे आदेश को वापस ले सकेगा ।

(2) कर्मचारी की नियुक्ति की संविदा या कर्मचारियों की सेवा के किन्हीं अन्य निबंधनों तथा शर्तों के निबंधनानुसार अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यापक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की बाबत शासी बोर्ड और अन्य कर्मचारियों की बाबत नियुक्ति प्राधिकारी को, यथा स्थिति, अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य या अन्य कर्मचारी को अवचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी ।

(3) पूर्वोक्त के सिवाय, यथास्थिति, शासी बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी किसी अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य या अन्य कर्मचारी को मान्य कारण से और तीन मास की सूचना के पश्चात या उसके बदले में तीन मास के वेतन के संदाय पर ही हटाने का हकदार होगा अन्यथा नहीं ।

(4) कोई अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य या अन्य कर्मचारी को खंड (2) या खंड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसके विरूद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के लिए कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ।

(5) अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य या अन्य कर्मचारी का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको हटाए जाने का आदेश किया जाता है :

परंतु जहां अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द का सदस्य या अन्य कर्मचारी उसके हटाए जाने के समय निलंबित है, वहां ऐसा हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह निलंबित किया गया था ।

(6) इस परिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यापक, कर्मचारिवृन्द का कोई सदस्य या अन्य कर्मचारी त्याग पत्र दे सकता है ।

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है, तो, यथास्थिति, शासी बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में तीन मास की सूचना देने के पश्चात् ही या उसके बदले में तीन मास का वेतन का भुगतान करके,

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो, यथास्थिति,शासी बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने के पश्चात् ही या उसके बदले एक मास का वेतन का भुगतान करके:

परंतु ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको, यथास्थिति, त्यागपत्र शासी बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है ।

31. अध्ययन केन्द्र और विभाग – (1) बोर्ड, समय-समय पर, विद्या परिषद की सिफारिश पर, सेवा केन्द्रों, प्रभागों सहित विभाग, विद्यालय, अनुसंधान या अन्य केन्द्र जैसी किसी भी शैक्षणिक यूनिटों को समय-समय पर सृजित, चालू, सम्मिलित या बन्द कर सकेगा । विश्वविद्यालय में वर्तमान विद्यालय, केन्द्र और विभाग निम्नलिखित है-

(क) अध्यय केन्द्र

(1) डाक्टरल अध्ययन और अनुसंधान विद्यालय

(2) भेषजी विद्यालय

(3) इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी विद्यालय

(4) न्यायालयिक विज्ञान विद्यालय

(5) साइबर सुरक्षा और डिजिटल न्यायालयिक विद्यालय

(6) मुक्त शिक्षा विद्यालय

(7) व्यवहार विज्ञान विद्यालय

(8) प्रबंध अध्ययन विद्यालय

(9) चिकित्सा विधिक अध्ययन विद्यालय

(10) न्यायालयिक मनोविज्ञान विद्यालय

(11) विधि, फोरेंसिक न्याय और नीति अध्ययन केन्द्र

(12) पुलिस विज्ञान तथा सुरक्षा अध्ययन केन्द्र

(ग) केन्द्र/अनुसंधान/प्रकोष्ठ –

(1) प्रशिक्षण संस्थान

(2) अन्तरराष्ट्रीय संबंध केन्द्र

(3) साईबर रक्षा केन्द्र

(4) स्वापक औषधि तथा मन: प्रभावी पदार्थ विशिष्टता केन्द्र

(5) प्रक्षेप अनुसंधान एवं परीक्षण केन्द्र

(6) अन्तरराष्ट्रीय लाकोपकारी न्यायालयिक केन्द्र

(7) अत्याधुनिक रक्षा अध्ययन केन्द्र

(8) न्यायालयिक नवपरिवर्तन केन्द्र

(9) बुद्ध मनोवैज्ञानिक केन्द्र

(10) छात्र नियोजन प्रकोष्ठ

(11) प्रकाशन प्रकोष्ठ

(2) विश्वविद्यालय में ऐसे अध्ययन केन्द्र और विभाग हो सकेंगे जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) प्रत्येक विद्यालय में अध्ययन बोर्ड होगा और अध्ययन बोर्ड कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(4) अध्ययन बोर्ड की शक्तियां और कृत्य अध्यादेश द्वारा विहित किए जाएंगे ।

(5) अध्ययन बोर्ड की बैठक का संचालन और ऐसी बैठक के लिए अपेक्षित कोरम अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा ।

(6) प्रत्येक विद्यालय ऐसे विभागों से मिलकर बनेगा जो अध्यादेशों द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं ।

(7) कोई विद्यालय या विभाग परिनियमों या अध्यादेशों के द्वारा ही स्थापित या उत्सादित किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

32. अध्ययन बोर्ड – (1) प्रत्येक विद्यालय का एक अध्ययन बोर्ड होगा ।

(2) अध्ययन बोर्ड का गठन और इसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी ।

(3) अध्ययन बोर्ड के कृत्य पाठ्यक्रम, शिक्षण और परीक्षा स्कीम, परीक्षकाें के पेनल,शिक्षण और अनुसंधान के मानकों के सुधार के लिए उपाय संबंधित विद्यालयों के अधीन चलाए गए कार्यक्रमों से संबंधित अन्य पाठ्यक्रम पहलुओं पर विचार करने और उन पर सिफारिश करने के लिए होंगे ।

33. विभागाध्यक्ष – (1) ऐसे विभागों के मामलें में, जिनमें एक से अधिक आचार्य हैं, विभाग में ज्येष्ठतम आचार्य,कुलपति के परामर्श से संबंधित कैंपस निदेशक की सिफारिश पर शासी बोर्ड द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में चक्रानुक्रम के आधार पर नियुक्त किया जाएगा ।

(2) ऐसे विभागों के मामलें में, जहां केवल एक आचार्य है वहां विभाग में आचार्य या ज्येष्ठतम सहयुक्त आचार्य कुलपति के परामर्श से संबंधित कैंपस निदेशक की सिफारिश पर शासी बोर्ड द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में चक्रानुक्रम के आधार पर नियुक्त किया जाएगा ।

(3) ऐसे विभागों के मामलें में, जहां कोई आचार्य नहीं है, वहां विभाग में ज्येष्ठतम आचार्य,कुलपति के परामर्श से संबंधित कैंपस निदेशक की सिफारिश पर शासी बोर्ड द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में चक्रानुक्रम के आधार पर नियुक्त किया जाएगा ।

(4) ऐसे विभागों के मामलें में, जहां न तो आचार्य है और न ही सहयुक्त आचार्य है, वहां विभाग में ज्येष्ठतम सहायक आचार्य,कुलपति के परामर्श से संबंधित कैंपस निदेशक की सिफारिश पर शासी बोर्ड द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में चक्रानुक्रम के आधार पर नियुक्त किया जाएगा ।

(5) आचार्य, सहयुक्त आचार्य या सहायक आचार्य, विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की प्रस्थापना को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

(6) विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुन:नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु ऐसी दशा में पुन:नियुक्ति क्रमिक अवधियों से अधिक अवधि की नहीं होगी ।

(7) विभागाध्यक्ष अपने पद से अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय पद त्याग कर सकेगा ।

(8) विभागाध्यक्ष ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

34. छात्रों को प्रवेश – (1) विश्वविद्यालय, अपने ही कैंपसों के घटक विद्यालयों में और अपने सहबद्ध महाविद्यालयों में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में गुणागुण के आधार पर ऐसी रीति में, जो अध्यादेशों तथा विनियमों में अधिकथित की जाए, विभिन्न पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा तथा अन्य पाठयक्रमों में छात्रों को प्रवेश देगा ।

35. विदेशी छात्रों को प्रवेश देना – (1) विश्वविद्यालय, विदेशी छात्रों, भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक, भारतीय मूल के व्यक्ति, अनिवासी भारतीय, खाड़ी और दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों को भारत सरकार की नीतियों के अनुसार और ऐसी रीति में, जो अध्यादेशों में अधिकथित की जाए, प्रवेश देगा ।

36. सम्मानी उपाधियां प्रदान करना – (1) शासी बोर्ड, विद्या परिषद की सिफारिश पर और उपस्थित मतदान करने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाधिपति को सम्मानी उपाधियां प्रदान करने का प्रस्ताव कर सकेगा :

परंतु आपात की दशा में, शासी बोर्ड स्वप्रेरणा से ऐसा प्रस्ताव कर सकेगा ।

(2) शासी बोर्ड, उपस्थित तथा मतदान करने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी सम्मानी उपाधि को वापस ले सकेगा ।

37. उपाधियों को वापस लिया जाना आदि – (1) शासी बोर्ड, उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित किसी विशेष संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा किसी मान्य तथा पर्याप्त हेतुक के लिए प्रदान की गई किसी उपाधि, शैक्षणिक उपाधि या किसी प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा को वापस ले सकेगा :

परंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को लिखित में उससे ऐसे समय के भीतर कारण बताने की अपेक्षा करते हुए यह नोटिस न दिया गया हो ऐसा संकल्प क्यों न पारित किया जाए और जब तक उसके आक्षेपों यदि कोई हों, और कोई साक्ष्य, जो वह उनके समथर्न में प्रस्तुत करे, पर, शासी बोर्ड द्वारा विचार न कर लिया जाए।

38. संसाधन जुटाना और आधार भूत निधि या अक्षय निधि – (1) विश्वविद्यालय विभिन्न स्त्रोतों से जैसे प्रशिक्षण,परामर्श, दान, सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, सहबद्धता से प्राप्त आय आदि से अपने ही संसाधनों को जुटा सकेगा ताकि उसकी अपनी कुछ अतिरिक्त आवश्यकताओं को ऐसी निधियों से पूरा किया जा सके ।

(2) विश्वविद्यालय अपने स्वयं की समग्र निधि या प्रत्यय संदानों में अक्षय निधि, जहां कहीं ऐसा करना आवश्यक हो, विभिन्न निधियों तथा स्त्रोतों से बचत सृजित कर सकेगा और संरचनित प्रणाली के माध्यम से निधियों का प्रबंध कर सकेगा ।

(3) बोर्ड, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी उपयुक्त संरचनाएं सृजित कर सकेगा जो वह सम्यक जवाबदेही के साथ समुचित समझे ।

39. प्रौद्योगिकी वर्धित अधिगम कार्यक्रम – अकादमिक परिषद्, प्रौद्योगिकी वर्धित अधिगम कार्यक्रम जिसमें आन लाइन शिक्षा भी है, को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त संरचनाएं और पद्धतियां सृजित कर सकेगा और अकादमिक परिषद् इस संबंध में आवश्यक सन्नियम तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों को भी अधिकथित कर सकेगा ।

40. विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन को बनाए रखना – (1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन तथा अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी ।

(2) कुलपति अपनी सभी या कोई शक्तियाँ, जो वह ठीक समझे, कैंपस निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारियों,जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) कुलपति, अनुशासन को बनाए रखने और ऐसी कार्रवाई करने, जो उसे अनुशासन को बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हो, से संबंधित उसकी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या किन्ही छात्रों को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निष्काषित कर दिए जाए या अस्थायी रूप से निकाल दिया जाए या किसी कथित अवधि के लिए विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय या विभाग के किसी अध्ययन पाठ्यक्रम या पाठयक्रमों में प्रवेश न दिया जाए या आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली रकम के लिए जुर्माने से दंडित किया जाए या एक या अधिक वर्षों के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्था या विभाग या किसी विद्यालय द्वारा संचालित कोई परीक्षा या परीक्षाएं देने से वर्जित किया जाए या उस परीक्षा या उन परीक्षाओं, जिनमें वह बैठा है या वे बैठे हैं, में संबंधित छात्र या छात्रों के परिणाम रद्द कर दिए जाएं ।

(4) विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र के संकायाध्यक्षों, शिक्षण विभागों के प्रधानों, महाविद्यालयों के प्राचार्यो का अपने-अपने विद्यालय, महाविद्यालयों और विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकार होगा ।

(5) कुलपति की शक्तियेां पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कैंपस निदेशक और खंड (4) में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्ति अनुशासन और उचित आचरण के विस्तृत नियम बनाएगें ।

(6) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह स्वयं को कुलपति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों को अनुशासनिक अधिकारिता के प्रति समर्पित करे ।

41. छात्रों द्वारा संदेय फीस और अन्य प्रभार – (1) विभिन्न कार्यकर्मों में प्रवेश दिए गए छात्र प्रथम प्रवेश के समय और तत्पश्चात् उस कार्यक्रम, जिसमें उसे प्रवेश दिया गया है, का अध्ययन के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सेमेस्टर/वर्ष ऐसी शिक्षा शुल्क का, जो समय-समय पर, बोर्ड द्वारा विनिश्चित नीति में विहित की जाए, का संदाय करेंगे ।

(2) कुलपति, विद्या परिषद के साथ परामर्श करके, प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिभा-सह-साधन सहायता को प्रशासित करने के लिए पात्रता और मार्गदर्शी सिद्धांतों का विनिश्चय करेगा ।

42. सहबद्ध महाविद्यलयों के छात्रों में अनुशासन का बनाए रखना – (1) ऐसे किसी सहबद्ध महाविद्यालय के, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित नहीं है, छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां, अध्यादेशों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार, यथा स्थिति, महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशक/प्रधान में निहित होंगी ।

43. अध्येयता वृति, छात्रवृति, सहायकवृति, पदक और पुरस्कार – (1) बोर्ड, पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान तथा पोस्ट डाक्टरल तथा अन्य स्तरों पर अध्येत्तावृति, छात्रवृति, सहायतावृति,पदक और पुरस्कारों को अपने छात्रों को समय-समय पर प्रदान करने के लिए संस्थित कर सकेगा ।

(2) विश्वविद्यालय समय-समय पर, उनमें से प्रत्येक के लिए पुरस्कार का मूल्य, संख्याओं तथा शर्तों का विनिश्चय करेगा ।

(3) ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की निधियों के अतिरिक्त, संदायों से प्राप्त निधियों का भी उपयोग किया जाएगा ।

44. दीक्षांत समारोह – उपाधियां प्रदान करने के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के समारोह ऐसी रीति में आयोजित किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए ।

45. त्यागपत्र – सभा, बोर्ड, विद्यापरिषद या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य कार्यालय कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा और त्यागपत्र जैसे ही कार्यपालक कुलसचिव द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्रभावी होगा ।

46. निरर्हताएं – (1) कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्रहित होगा -

(क) यदि वह विकृत चित्त का है;

(ख) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(ग) यदि वह नैतिक अधमता अन्तर्वलित करने वाले किसी अपराध के न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है और उसके संबंध में उसे कम से कम छह मास के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में उल्लिखित निरर्हताओं में से किसी निर्रहता से ग्रस्त है या ग्रस्त रहा था, ऐसा प्रश्न कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

47. अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकरणों की सदस्यता – इन परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय के सदस्य के रूप में या किसी विशिष्ट नियुक्ति के धारक के रूप में अपनी हैसियत में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य है, ऐसा पद या सदस्यता केवल उस समय तक धारण करेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय का सदस्य या उस विशिष्ट नियुक्ति का धारक बना रहता है ।

48. पूर्व छात्र संगम – (1) विश्वविद्यालय का एक पूर्व छात्र संगम होगा ।

(2) पूर्व छात्र संगम की सदस्यता का अंशदान, अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा ।

(3) पूर्व छात्र संगम का कोई सदस्य निर्वाचन में तब तक मतदान करने या खड़े होने का हकदार नहीं होगा जब तक वह निर्वाचन की तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व संगम का सदस्य न रहा हो और कम से कम पांच की अवधि की विश्वविद्यालय डिग्री का धारक न हो :

परंतु एक वर्ष की सदस्यता के पूरा होने के संबंध में शर्त प्रथम निर्वाचन के मामले में लागू नहीं होगी ।

49. अध्यादेश, किस प्रकार बनाएं जाएंगे – अधिनियम की धारा 43 के अधीन बनाया गया प्रथम अध्यादेश नीचे विनिर्दिष्ट रीति में शासी बोर्ड द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्धित किया जा सकेगा –

(क) शासी बोर्ड को, अधिनियम की धारा 43 के अधीन विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश के किसी भी प्रारूप का संशोधन करने की शक्तियां होंगी । यह प्रस्ताव को अस्वीकर कर सकेगा, या प्रारूप को पूर्ण रूप से या भागत: किसी ऐसे संशोधन के साथ, जिसका शासी बोर्ड सुझाव दे, पुन: विचार किए जाने के लिए विद्या परिषद वापस लौटा सकेगा ।

(ख) जहां शासी बोर्ड ने विद्यापरिषद द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश का प्रारूप अस्वीकार कर दिया है या वापस लौटा दिया है, वहां विद्या परिषद प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और यदि मूल प्रारूप की उपस्थित तथा मतदान करने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्य के बहुमत द्वारा और विद्या परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से ज्यादा सदस्यों द्वारा अभिपुष्टि हो जाती है तो प्रारूप शासी बोर्ड को वापस भेजा जा सकता है, जिसे वह या तो उसे अंगीकृत करेगा या उसे कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(ग) शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रत्येक अध्यादेश तुरंत प्रभावी होगा ।

(घ) शासी बोर्ड द्वारा किया गया प्रत्येक अध्यादेश इसके अंगीकार किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा । कुलाधिपति को ऐसी शक्ति होगी कि वह अध्यादेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय को ऐसे किसी ऐसे अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित करने के लिए निदेश दे और वह यथा संभव शीघ्र प्रस्तावित अध्यादेश के प्रति अपने आक्षेप के बारे में शासी बोर्ड को सूचित करे । कुलाधिपति, विश्वविद्यालय की टीका-टिप्पणियां प्राप्त हो जाने के पश्चात् या तो अध्यादेश को निलंबित करने वाले आदेश को वापस ले सकेगा या अध्यादेश को अननुज्ञात कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

50. विनियम – विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, निम्नलिखित विषयों के लिए अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे, अर्थात् -

(क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को अधिकथित करना और कोरम बनाने के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या ।

(ख) उन सभी विषयों का उपबंध करना जिनकी विनियमों द्वारा विहित किए जाने वाले अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अपेक्षा की जाती है ।

(ग) ऐसे सभी अन्य विषयों का उपबंध करना जिनका संबंध एक मात्र रूप से उनके द्वारा नियुक्त ऐसे प्राधिकरणों या समितियों से है और जिनके लिए उपबंध इस अधिनियम , परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा नहीं किया गया है ।

51. शक्तियों का प्रत्यायोजन – अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी अपनी शक्तियेां को किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को या उसके या इसके संबंधित नियत्रंण के अधीन किसी व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

52. सतत शिक्षा कार्यक्रम – विद्या परिषद विश्वविद्यालय द्वारा सत्त शिक्षा कार्यक्रमों की प्रस्थापना करने के लिए उपयुक्त संरचनाएं और प्रद्धतियां तैयार की जा सकेंगी । यह इस संबंध में उपयुक्त सन्नियम और मार्गदर्शी सिद्धांत अधिकथित कर सकेगी ।

53. शैक्षणिक तथा अनुसंधान विशिष्टता का संवर्धन करने के लिए अस्तित्वों का सृजन – शासी बोर्ड, शैक्षणिक और अनुसंधान विशिष्टता का संवर्धन करने के लिए कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 तथा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन विशेष प्रयोजन यान (एसपीवी) जैसे अस्तित्वों की स्थापना करने के लिए उपयुक्त सन्नियम तथा मार्गदर्शी सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा ।

54. परिनियमों का निर्वचन– इन परिनियमों तथा उसमें उपबंधों के निर्वचन से संबंधित सभी प्रश्नों पर शासी बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा ।

सी. डी. जडेजा, कार्यपालक कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./297/2021-22]

NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY

(Gandhinagar, Gujarat)

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 1st October, 2021

F. No. NFSU/ADM/21.—In exercise of powers conferred by Section 40 read with Sub-Section (1) of Section 41 of the National Forensic Sciences University, Act, 2020, the Board of Governors, with the prior approval of the Central Government, hereby frames the following first statutes, namely :-

1. Short title and commencement.- (1)These Statutes may be called the First Statutes of National Forensic Sciences University, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these First Statutes, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the National Forensic Sciences University Act, 2020, as amended from time to time;

(b) 'Authorities' means the Authorities of the University as specified in section 20 of the of the Act;

(c) 'Board' means the Board of Governors of the University.

(d) 'Campus' means the campus of the University.

(e) 'Campus Director' means the Campus Director of the University.

(f) 'Central Government' means the Government of India;

(g) 'Dean' means the Dean of the respective School of the University;

(h) 'Department', 'School', and 'Centre' means, the Department, School, and Centre, respectively, established by the University from time to time;

(i) 'Executive Registrar' means the Executive Registrar of the University.

(j) 'Faculty' means Professor, Associate Professor and Assistant Professor (Regular and Contract);

(k) 'Finance Committee' means the Finance Committee of the University.

(l) 'Head' means the Head of the Department, School, Centre, Division or such other Unit as the case may be.

(m) 'Officers' means the Officers of the University.

(n) 'Ordinances' means the Ordinances of the University as may be framed from time to time under section 42 of the Act.

(o) 'Rules' means the rules framed by the Board.

(p) 'Student' means a student admitted to a prescribed programme of the University through the laid down procedure and whose name is borne on the rolls of the University.

(q) 'Schedule' means schedule annexed to these Statutes.

(r) 'University' means the National Forensic Sciences University;

(s) 'Warden' means the Warden of the Hostels of the University; and

(t) Words and expression used in these Statutes and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. The Chancellor.- (1) The Chancellor shall be appointed by the Central Government from a panel of not less than three persons recommended by the Home Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India from amongst persons of eminence in the field of forensic science, academic or public life of the country.

(2) Upon receipt of any report from the person/persons appointed as per section 13(3) of the Act, the Chancellor may issue directions as he considers necessary in respect of such report.

(3) The Chancellor shall hold office for a term of three years and shall not be eligible for re-appointment.

Provided that notwithstanding the expiry of his term of office, the incumbent chancellor shall continue to hold office until his successor enters upon his office.

4. Court.-(1) The term of office of the members of the Court shall be three years.

(2) An annual meeting of the Court shall be held on the request of the Board of Governors, not later than 30th September in any financial year:

Provided that, if the meeting of the Court is not held for any reasons within the stipulated time-period so as to fulfil the above time-limit; in that circumstances resolution of the Board of Governors in respect of section 16(2)(vi) shall be forwarded to the Ministry of Home Affairs.

(3) At an annual meeting of the Court, report on the working of the University during the previous year together with a statement of the receipts and expenditure, the balance-sheet as audited, and the financial estimates for the next year shall be presented.

(4) A copy of the statement of receipts and expenditure, the balance–sheet and the financial estimates referred to in clause (b), sub-section (5) of section 14 of the Act shall be sent to every member of the Court at least seven days before the date of the annual meeting.

(5) Special meetings of the Court may be convened on the request of the Board of Governors or the Vice-Chancellor or if there is no Vice-Chancellor, the Acting/In-charge Vice Chancellor or by the senior most Campus Director.

(6) Minimum four members of the Court shall form a quorum for a meeting of the Court.

(7) Executive Registrar shall provide administrative assistance to convene the meetings of the Court.

5. Powers and functions of the Board of Governors.-(1) Subject to the provisions of the Act, Board of Governors:

(a) may lay down the provisions for pension, provident fund and medical benefits, insurance, Leave Travel Concession, leave rules and other employment benefits for the officers, teachers and other staff as per the Central Government norms as amended from time to time, at par with other Institutions of National Importance;

(b) may establish Campuses and Centres in India and abroad.

(c) may establish Schools, Departments and Centres;

(d) may lay down the Courses of study for all degrees, diplomas and certificates of the University.

(e) may grant academic awards such as degrees and diplomas and distinctions.

(f) may award fellowships, scholarships, studentships, medals, prizes and prescription of the conditions thereof.

(g) may promote interdisciplinary research by making joint appointments of teaching staff in different Schools, Department and Centres.

(h) may determine fees structure to be charged for courses of study and for admission to the examination, degrees, diplomas and certificates of the University.

(i) may transfer or accept transfers of any movable or immovable property on behalf of the University.

(j) may provide buildings, premises, furniture, apparatus and other means needed for carrying on the work of the University.

(k) may enter into, carry out and cancel contracts on behalf of the University.

(l) may entertain, adjudicate upon, and if thought fit, to redress any grievances of the employees and students of the University who may, for any reason, feel aggrieved.

(m) may select a common seal for the University and provide for the custody and use of such seal.

(n) may appoint Visiting Professors, Emeritus Professors, Chairs, & Consultants and determine the terms and conditions of such appointments.

(o) may enter into partnership with industry and non-government agencies for the advancement of knowledge and to establish a corpus of funds out of the profits of such partnership;

(p) may delegate powers to the Vice Chancellor including powers to :

(i) create various posts and make appointment on such posts as per the requirement.

(ii) appoint Campus Directors, Professors, Associate Professors, Assistant Professors, and other academic and non-academic staff, as may be necessary, on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose and to fill up permanent and contractual vacancies therein.

(iii) affiliate colleges/institutions and recognize training centres.

(q) may delegate any powers to the Campus Directors, Deans, the Executive Registrar or the Finance Officer or such other employee or authority of the University or in a committee appointed by it as it may deem fit.

(r) Decisions so taken by the officer or authority or such Committee, in exercise of the delegated powers shall be placed before the Board of Governors for ratification/information as the case may be directed.

(2) All other matters, as may be provided by Regulations, but no regulation shall be made affecting the condition of residence, health, discipline, admission, enrolment of students, mode of appointments, duties of examiners, conduct of and standard of examinations or any course of study without consulting the Academic Council.

6. Academic Council.-(a) The Academic Council shall meet at least two times during a calendar year.

(b) Meetings of the Academic Council shall ordinarily be convened by the Chairman either on his motion or on a requisition signed by not less than one-third members of the Academic Council.

(c) The meeting of the Academic Council shall ordinarily be presided over by the Vice Chancellor. In his absence, the Campus Director of University Headquarter shall preside over.

(d) Presence of more than half of the members in the meeting, whether in-person or virtually, shall form quorum for a meeting.

(e) All the matters considered at the meetings of the Academic Council shall be decided by a majority of the votes of the members present including Chairman. If the votes are equally divided, the Chairman shall have a second or casting vote.

(f) A written notice of the meeting shall be sent by the Executive Registrar, to every member at least fifteen working days before the date of the meeting. The notice shall state the place, the date, and the time of the meeting. The notice may be delivered by post, electronic mail, or FAX at the address of each member as recorded in the University and if so sent, shall be deemed to have been delivered:

Provided that, in case of an emergency, notice of the meeting shall be 72 hours.

(g) Notwithstanding the provisions of the sub rule (f), the Chairman may call a meeting of the Academic Council at short notice to consider urgent matters.

(h) The agenda of the meeting shall be circulated by the Executive Registrar to the members at least seven working days before the meeting:

Provided that, in case of any emergency, the item which is not included in the agenda may be taken up for consideration with the approval of the Chairman of the Meeting.

(i) Notices for inclusion of any item on the agenda must reach the Executive Registrar, at least ten working days before the meeting. The Chairman may permit inclusion of any item for which due notice has not been received.

(j) The ruling of the Chairperson in regard to all matters relating to procedure shall be final.

(k) The Executive Registrar shall submit the draft minutes to the Chairman for his approval of the minutes.

(l) The minutes of the proceedings of a meeting of the Academic Council shall be prepared by the Executive Registrar and circulated to all the members of the Academic Council. The minutes along with amendments, if any suggested, shall be placed for confirmation at the next meeting of the Academic Council. After the minutes are confirmed, the minutes shall be signed by the Chairman.

(m) In emergent cases, the Vice-Chancellor may exercise the powers of the Academic Council and report the decisions taken at the next meeting of the Academic Council.

(n) In any emergency where the action is required to be taken on urgent basis and where the approval of concerned authority, faculty, board, council, Committee is required then the propose decision in form of resolution may be circulated to all members of the concerned body and on the signatures of all members, the resolution shall be implemented forthwith.

7. Powers and Duties of Academic Council.-(1) Subject to the provisions of the Act, the Academic Council shall have the following powers and duties:-

(a) As the custodian of all academic affairs of the University, the Academic Council is empowered to sanction academic programs and courses, approve their contents and any changes thereof, and oversee their conduct.

(b) It shall set the criteria for the award of academic degrees and honors and approve each individual award.

(c) It shall set the criteria for the termination of students' programs and approve each termination with due deliberation.

(d) In the pursuit of its duties, the Academic Council is empowered to constitute permanent and other sub-committees, appoint their members and set their powers that shall not equal or exceed the powers of the Academic Council as a whole.

(e) The Academic Council may invest the Chairman with powers to facilitate speedy decision-making in academic matters. However, all academic decisions of the sub-committees and of the Chairman and functionaries shall be reported to the Academic Council for confirmation.

(f) All academic matters related to the sanction of intake, admission criteria for selection of students in academic programs and courses, and periodic information regarding their progress and completion, shall similarly be reported to the Academic Council for its information and approval.

(g) The Academic Council shall approve changes in the academic courses, intake, syllabus etc.

(h) The Academic Council shall consider the recommendations of Board of Affiliation and Recognition for granting an affiliation to the colleges/institutes/research centres.

(i) The creation of new academic departments, schools and centres or abolition thereof or any significant changes in the profile of such entities that are already existing, shall be recommended by the Academic Council to the Board.

(j) Policy and infrastructural initiatives that have bearing on the research and academic profile of the University shall be presented to the Academic Council on a regular basis for its comments and advice, which shall be non-binding but must be communicated to the Board.

(k) The Academic Council shall have powers to invite such person or persons as may be deemed fit to attend a meeting of the Academic Council.

8. The Vice-Chancellor.-(1) Appointment of the Vice-Chancellor:

(a) The appointment process of the Vice-Chancellor of the University shall begin at least six months prior to the completion of the tenure of the current incumbent and shall be completed thirty days before the completion of tenure of the current incumbent:

(b) There shall be a Search-cum-Selection Committee comprising of five eminent persons chosen from educationists, scientists, administrators, judiciary, technocrats and management specialists to be constituted by the Central Government, by a majority decision of the members present and voting and the quorum for Search-cum-Selection Committee meeting shall be two third of the members of the Committee.

(c) Apart from the qualifications laid down in the Act, only such persons who have not completed seventy years of age as on the date of appointment, have no conflict of interest, and have not completed two terms, shall be considered for the appointment of the Vice-Chancellor.

(d) The Search-cum-Selection Committee shall submit three names who possess the qualifications provided in clause (i and ii) of sub-section (2) of Section 21 of the Act, to the Home Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India. The appointment of the Vice Chancellor shall be done by the Central Government as mentioned in the Act.

(2) Removal of the Vice-Chancellor:

(a) Notwithstanding anything contained in section 21(3) of the Act, the Ministry of Home Affairs, Government of India at any time after the Vice-Chancellor has entered upon his office, by order in writing; remove the Vice- Chancellor from the office on the ground of incapability, misconduct or violation of the statutory provisions:

Provided that no such order shall be made by Ministry of Home Affairs, Government of India unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity to showing his cause against the action proposed to be taken against him:

Provided further that the Ministry of Home Affairs, Government of India may consult Chancellor also before making such order:

Provided also that the Ministry of Home Affairs, Government of India or Chancellor may, at any point of time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending inquiry.

(b) In case, if the Vice-Chancellor is on leave or on tour abroad for a period of more than a month, the senior most Campus Director or the senior most Dean/ Professor of the University nominated by the Vice-Chancellor shall act as Vice-Chancellor during said period.

(c) The Vice-Chancellor may resign from the post by giving three months' notice to the Board, which shall be forwarded with recommendation to Ministry of Home Affairs, Government of India and shall be deemed to be accepted, if no decision is taken within the three month period and the Vice-Chancellor shall stand relieved on the expiry of notice period. The Vice-Chancellor may withdraw his resignation at any time of the notice period, if no decision has been taken on the subject.

Provided that, if the Board of Governors decides that the Vice-Chancellor may be relieved with immediate effect without completion of the notice period, then the Vice- Chancellor may be relieved by paying salary for the remaining notice period.

(3) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as follows:

(a) the Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University;

(b) The Vice-Chancellor shall be paid a monthly salary, other allowances, and perks at par with that of Heads of other Institutions of National Importance as amended from time to time. The Vice-Chancellor shall be entitled to use a furnished residential accommodation without payment of rent, with provision for furnishing or renewal of furnishing subject to the limits as may be specified by regulations. No charge shall fall on the Vice-Chancellor in respect of maintenance of such residence. All the furnishings and fixtures shall be the property of the University.

(c) The Vice Chancellor shall be eligible for privilege in relation to medical attendance and treatment as per the Central Government norms as amended from time to time , at par with other Institutions of National Importance.

(d) The Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits and allowances as may be fixed by the Board of Governors at par with the Institutions of National Importance, and as amended from time to time:

Provided that where an employee of the University or a College or an Institution maintained by or affiliated to it or of any other University or any Institution maintained by or affiliated to such other University is appointed as the Vice-Chancellor, he may be allowed to continue to contribute to any provident fund of which he is a member and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which the person had been contributing immediately before his appointment as the Vice-Chancellor:

Provided further that where such employee had been a member of any pension scheme, the University shall make the necessary contribution to such scheme.

(e) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave on full pay at the rate of thirty days in a calendar year and the leave shall be credited to his account in advance in two half-yearly instalment of fifteen days each on the First day of January and July every year:

Provided that if the Vice-Chancellor assumes and relinquishes charge of the office of the Vice-Chancellor during the currency of a half year, the leave shall be credited proportionately at the rate of two and-a- half days for each completed month of service.

(f) In addition to the leave referred to in sub-clause (e),the Vice-Chancellor shall also be entitled to half pay leave at the rate of twenty days for each completed year of service.This half pay leave may also beavailed of as commuted leave on full pay on medical certificate. When commuted leave is availed, twice the amount of half pay leave shall be debited against half pay leave due.

9. Powers of the Vice-Chancellor.-(1) Subject to Section 22 of the Act, the Vice-Chancellor may:

(a) suspend action on any decision of any authority, if he is of the opinion that it is ultra vires of the provisions of the Act or Statutes or Ordinances or that such a decision is not in the best interests of the University;

(b) suspend a member from the meeting of the authority, body, or committee for persisting to obstruct or stall the proceedings or for indulging in behaviour unbecoming of a member;

(c) suspend an employee and initiate disciplinary action against him / her; and

(d) ensure that the provisions of the Act, Statutes, Ordinances and Regulations are fully observed.

10. Campus Director.- (1) As per the section 23 (2) of Act, the Campus Directors shall assist the Vice-Chancellor in managing the academic, administrative, and other affairs of the Campus of University.

(2) The Campus Director shall be a whole-time salaried officer of the University.

(3) Jurisdiction of the Campus Director shall be limited to the respective campus only, however, the Vice Chancellor may assign additional responsibilities to any campus director to look after several activities of all campuses of the University.

(4) The Campus Director/s shall be appointed by the Vice- Chancellor on the recommendation of the selection committee constituted for the purpose with the approval of the Board of Governors. In case of an appointment of Campus Director by invitation to an eminent expert in the field,the appointment shall be made withthe approval of the Board of Governors.

(5) To become eligible for the post of Campus Director by direct selection, the candidate shall fulfil the following eligibility criteria:

(a) The candidate/person should be a Ph.D. with first class or equivalent at the Master degree / Basic Sciences or any other allied branches of education.

(b) he shall have at least fifteen years of teaching or research experience, out of which minimum five years as a full time Professor at a reputed institution/ university; (in case of industry experience, he shall have at least fifteen years' experience at senior level, out of which five years should be at the level of Professor or equivalent)

(c) he should have guided minimum five Ph. D. Scholars:

Provided that in case of recruitment by invitation, Vice-Chancellor will have the powers to relax the norms considering the professional experience of the level not below the rank of Professor.

(6) The emoluments and other terms and conditions of the service of Campus Director shall be such as may be prescribed by the Board of Governors and at par with the Campus Director at Institution of National Importance.

(7) Campus Director shall hold office till he completes the age of sixty-five years or as per the Central Government norms amended from time to time , at par with the Institution of National Importance:

Provided that in case of appointment by invitation, Vice-Chancellor will have the powers to relax the norms considering the professional experience of the level not below the rank of Professor.

(8) Campus Director shall be entitled to use a furnished residential accommodation without payment of rent, with provision for furnishing or renewal of furnishing subject to the limits as may be specified by regulations. No charge shall fall on the Campus Director in respect of the maintenance of such residence. All the furnishings and fixtures shall be the property of the University.

(9) Campus Director shall be entitled to leave as admissible to permanent non-vacation employees of the University and shall be a member of the University's Provident Fund or Pension or Contributory Provident Fund Scheme as per Central Government norms amended from time to time , at par with Institution of National importance guidelines and to be amended from time to time:

Provided that where an employee of the University or a College or an Institution maintained by or affiliated to it or of any other University or any Institution maintained by or affiliated to such other University is appointed as the Campus Director, he may be allowed to continue to contribute to any provident fund of which he is a member and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which the person had been contributing immediately before his appointment as the Campus Director:

Provided further that where such employee had been a member of any pension scheme, the University shall make the necessary contribution to such scheme.

(10) Campus Director shall be eligible for privilege in relation to medical attendance and treatment as per the Central Government norms amended from time to time.

(11) In case of sudden vacancy of post of Campus Director on account of any reason, the process for filling up the post on regular basis shall be completed within a period of six months from the date of such vacancy.

(12) When the office of the Campus Director falls vacant or when the Campus Director is, by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the Vice-Chancellor, may appoint a suitable person qualified to be appointed as Campus Director to officiate as Campus Director, till the Campus Director resumes office, or a new Campus Director assumes duty, as the case may be.

(13) In case, if the Campus Director is on leave or on tour abroad for a period of more than a month, the senior most Dean / Professor of the University shall be nominated as the Campus Director by the Vice-Chancellor.

11. Duties & Responsibilities of Campus Director.-(1) The Campus Director shall be the academic and executive officer of the University having purview of the respective campus of the University. However, the Vice Chancellor may assign the additional charge/responsibilities of other campus.The Campus Director shall :

(a) be the principal academic planning and academic audit officer for the academic development programs, including Graduate/Post Graduate teaching, research, training, consultancy, extension activities and collaborative programs of the respective University campus;

(b) ensure that quality in education, research and other relevant services is maintained by the respective University campus;

(c) be responsible for fostering intellectual interaction in the University campus and for ensuring the quality of research and development, and strengthening industry academia interaction;

(d) ensure that the long-term and short-term development plans of the campus in their academic programs are duly processed, and implemented through relevant authorities, bodies, committees and officers;

(e) propose to the Board of Governors for the establishment of new institutes/schools, departments, institutions of higher learning, affiliation to new college, research and specialized studies, knowledge resource centre, academic services units, libraries, laboratories and museums in the university campus;

(f) propose to the Board of Governors for creation of other posts required by the University or respective campuses, from the funds of the University and from the funds received from other funding agencies, and qualifications, experience and pay-scales for such posts;

(g) be the principal liaison officer with the external funding agencies for generating funds for the collaborative and development programs of the respective campus and monitor their proper utilization;

(h) be responsible for preparation of the comprehensive perspective plan, annual plan, and undertaking the systematic field survey within respective campuses;

(i) be responsible for establishing liaison for fostering and promoting collaboration between the universities, research institutes, colleges and national and international institutions and scientific, industrial and commercial organizations;

(j) be responsible for submission of an annual report on the progress achieved in different developmental and collaborative programs to the Vice-Chancellor who shall place the same before the Board of Governors;

(k) exercise all financial powers of spending towards capital as well as revenue expenditure within the sanctioned annual budget for the respective campus.

(l) exercise such other powers and perform such other duties as prescribed under the Act or assigned to him, from time to time, by the Vice-Chancellor including additional charge of another campus or duties as assigned by the Vice-Chancellor.

12. Deans.-As per Section 24 of the Act, the Deans of Schools of the University shall be appointed by the Vice-Chancellor on following terms and conditions;-

(1) The Dean of each school shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the regular Professors of the respective School by rotation in order of seniority for a period of three years. However, if the school does not have a regular professor, the Vice Chancellor may appoint any other regular professor from other school of the University to look after the responsibilities of the Dean at any school.

(2) The Associate Dean of each school shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the regular Associate Professors of the respective School by rotation in order of seniority for a period of three years.

(3) When the office of the Dean is vacant or when the Dean is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform duties of his office, the Vice Chancellor may assign the Dean's responsibility to Associate Dean of respective school.

(4) The Dean shall be the Head of the School and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of teaching and research in the School and shall have such other functions as may be prescribed by the Ordinances.

(5) Deans shall work directly under the superintendence, direction and control of the Campus Director of the respective campus.

(6) The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Boards of Studies or Committees of the School, as the case may be, but shall not have the right to vote thereat unless he is a member thereof.

(7) Notwithstanding anything contained in the statute, the Vice-Chancellor may appoint Deans of academic affairs, student welfare, faculty affair, research and development, international relations and others as deem fit for the general administration.

13. Executive Registrar.-(1) As per the section 25 (2) (iii) of the Act, the Executive Registrar shall assist the Vice-Chancellor in managing the administrative affairs of the University.

(2) Executive Registrar shall be appointed through direct recruitment by the Vice Chancellor on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose, further approved by the Board of Governors.

(3) He shall be eligible to hold the post till he attains the age of 62 years:

Provided that the Executive Registrar shall notwithstanding his attaining the age of sixty-two years, continue in office until his successor is appointed and enters upon his office or until the expiry of a period of one year, whichever is earlier:

Provided further that as a transition provision, in order to facilitate smooth transition and continuation of University operations and activities from a State University to a National University, the first Executive Registrar of the University may continue in the post till the maximum age of sixty five years.

(4) The emoluments, other terms and conditions of service of the Executive Registrar shall be such as may be prescribed by the Board of Governors as per the Central Government norms amended from time to time, at par with the Institution of National Importance.

(5) The Executive Registrar shall be entitled to use a furnished residential accommodation without payment of rent, with provision for furnishing or renewal of furnishing subject to the limits as may be specified by regulations. No charge shall fall on the Executive Registrar in respect of the maintenance of such residence. All the furnishings and fixtures shall be the property of the University.

(6) The Executive Registrar shall be entitled to leave as admissible to permanent non-vacation employees of the University and shall be a member of the university's Provident Fund or Pension or Contributory Provident Fund Scheme as per the Central Government norms amended from time to time, at par with the Institution of National Importance:

Provided that where an employee of the University or a College or an Institution maintained by or affiliated to it or of any other University or any Institution maintained by or affiliated to such other University is appointed as the Executive Registrar, he may be allowed to continue to contribute to any provident fund of which he is a member and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which the person had been contributing immediately before his appointment as the Executive Registrar:

Provided further that where such employee had been a member of any pension scheme, the University shall make the necessary contribution to such scheme.

(7) The Executive Registrar shall be eligible for privilege in relation to medical attendance and treatment as per the Central Government norms amended from time to time, at par with the Institution of National Importance, and as amended from time to time.

(8) When the office of the Executive Registrar is vacant or when the Executive Registrar is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by equivalent position, such as Professor or by a person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(9) (a) The Executive Registrar shall have power to take disciplinary action against such of the employees, excluding teachers and academic staff, as may be specified in the order of the Board of Governors and to suspend them pending inquiry, to administer warnings to them or to impose on them the penalty of censure or the withholding of increment:

Provided that no such penalty shall be imposed unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him.

(b) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the Executive Registrar imposing any of the penalties specified in sub-clause (a).

(c) In a case where the inquiry discloses that a punishment beyond the power of the Executive Registrar is called for the Executive Registrar shall, upon the conclusion of the inquiry, make a report to the Vice-Chancellor along with his recommendation:

Provided that an appeal shall lie to the Board against an order of the Vice- Chancellor imposing any penalty.

(10) The Executive Registrar shall be *ex-officio* Member Secretary of the Board of Governors, the Academic Council and the Finance Committee.

14. Duties and responsibilities of the Executive Registrar.-(1) He shall be the custodian of the records, the common seal and such other property of the University as the Board of Governors may commit to his charge;

(2) to issue all notices convening meetings of the Court, the Board of Governors, the Academic Council and of any Committees appointed by those authorities.

(3) to keep the minutes of all the meetings of the Court, the Board of Governors, the Academic Council and of any Committees appointed by those authorities;

(4) to conduct the official correspondence of the Court, the Board of Governors and the Academic Council;

(5) to supply to Government, Copies of the agenda of the meetings of the authorities of the University as soon as they are issued and the minutes of such meetings;

(6) to represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify pleadings or depute his representative for the purpose; and

(7) to perform such other duties as may be specified in the statutes, the Ordinances or Regulations or as may be required from time to time by the Board of Governors or Vice-Chancellor.

15. The Finance Officer.-(1) As per the Section 26 of the Act, the Finance Officer shall be appointed by the University with Minimum Qualification as per UGC Guidelines in such manner, on such emoluments and on such other terms and conditions of service and shall exercise such powers and perform such duties as may be laid down in the Statutes

(2) The Finance Officer shall be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose, further approved by the Board of Governors.

(3) He shall be a whole-time salaried officer of the University.

(4) He shall be appointed for a term of five years and shall be eligible for reappointment.

(5) The emoluments and other terms and conditions of service of the Finance Officer shall be such as may be prescribed by the Board of Governors as per the Central Government norms amended from time to time , at par with the Institution of National Importance, and as amended from time to time.

(6) Provided that a Finance Officer shall retire on attaining the age of sixty-two years:

Provided further that the Finance Officer shall notwithstanding his attaining the age of sixty-two years, continue in office until his successor is appointed and enters upon his office or until the expiry of a period of one year, whichever is earlier.

(7) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is by reason of illness, absence, or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(8) The Finance Officer shall be ex-officio Secretary of the Finance Committee, but shall not be deemed to be a Member of such Committee.

(9) The Finance Officer shall:

(a) Exercise general supervision over the funds of the University and shall advise it as regards its financial policy; and,

(b) Perform such other financial functions as may be assigned to him by the Board of Governors or as may be prescribed by the Ordinances.

(10) Subject to the control of the Board of Governors, the Finance Officer shall:

(a) hold and manage the property and investment of the University including trust and endowed property;

(b) ensure that the limits fixed by the Board of Governors for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted;

(c) shall be responsible for the preparation and maintenance of accounts and the budget of the University and shall make the presentation before the Board of Governors;

(d) keep a constant watch on the state of the cash and bank balance and on the state of investments;

(e) shall be responsible and accountable for parking, investment and internal audit of University funds and expenditures.

(f) watch the progress of the collection of revenue and shall be responsible and accountable for the methods of collection employed;

(g) ensure that the registers of buildings, land, furniture, and equipment are maintained up-to-date and that stock-checking is conducted of equipment and other consumable materials in all offices, Special Centres, Specialized Laboratories, Colleges and Institutions maintained by the University.

(h) bring to the notice of the Vice-Chancellor unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest disciplinary action against persons at fault; and

(i) call for from any Office, Centre, Laboratory, College, or Institution maintained by the University any information or returns that he may consider necessary for the performance of his duties.

(11) Any receipt given by the Finance Officer or the person or persons duly authorized in this behalf by the Board of Governors for any money payable to the University shall be sufficient discharge for payment of such money.

16. Other Officers.-(1) As per the section 27 of the Act the appointment of other officers may be done by the University as per requirements.

(2) As per Section 31 of the Act, the Board of Governors may, by Statutes, declare such other authorities or officers of the University and specify the powers, functions and duties of each such authority or officer, as the case may be.

17. Finance Committee.-(1) The Finance Committee shall consist members as per the section 28 of the Act and shall exercise powers as prescribed in section 29 of the Act.

(2) The Committee may ordinarily meet twice during a calendar year to examine the accounts and to scrutinise proposals for expenditure.

(3) The Committee may ordinarily be convened by the Chairman either on his motion or at the request of the Finance Officer or on a requisition signed by not less than three members of the Committee.

(4) The Committee shall provide its views and make its recommendations to the Board either suo-moto or on the advice of the Board or of the Vice Chancellor on any financial matter relating to the University.

(5) The Committee shall provide advice and guidance relating to resource mobilization.

(6) The Committee shall perform any other functions as the Board may decide from time to time.

(7) All proposals relating to creation of posts, and those items which have not been included in the Budget, should be examined by the Finance Committee before they are considered by the Board.

(8) The annual accounts and the financial estimates of the University prepared by the Finance Officer shall be laid before the Finance Committee for consideration and comments and thereafter submitted to the Board of Governors for approval. At least two third members shall constitute the quorum.

(9) The accounts of the University shall be audited by an internal auditor who shall be a Chartered Accountant or a firm of Chartered Accountant as defined in Chartered Accountants Act 1949 or a firm of Chartered Accountant to be appointed by the Board to ensure concurrent audit of all books of accounts and such periodic internal audit report shall be placed before the Board for review.

18. Board for Affiliation and Recognition.- (1) As per Section 30(1) of the Act, the Board for Affiliation and Recognition shall be responsible for admitting colleges and institutions to the privileges of the University.

(2) The Vice-chancellor shall nominate the members of the Board for Affiliation and Recognition comprising of:

i. Vice-Chancellor, NFSU - Chairman
ii. Campus Director (HQ) - Member
iii. Executive Registrar - Member
iv. One Campus Director nominated by the Vice-Chancellor of NFSU- Member
v. Two Senior Deans of NFSU Gandhinagar Campus - Member
vi. One nominee of the Vice Chancellor in the relevant subject matter - Member
vii. One member of Academic Council - Member
viii. One member of Finance Committee - Member
ix. Finance Officer - Member
x. One Expert from the field of Law or Assistant Registrar (Academic & Legal) - Member
xi. Controller of Examination - Member Secretary

(3) The Board for Affiliation and Recognition will submit the report of the proposals to the Vice-Chancellor.

(4) Such report shall be placed before the Academic Council for consideration.

(5) The detailed procedure for Affiliation and Recognition shall be prepared by the Board for Affiliation and Recognition and approved by the Academic Council.

19. Selection Committee.-(1) There shall be Selection Committees for making recommendations to the Board of Governors for appointment to the post of Campus Director, Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Executive Registrar, Finance Officer, Controller of Examination, Librarian and others.

(2) The Selection Committee shall be constituted as per the Central Government norms amended from time to time , as per the guidelines of Institution of National Importance as amended from time to time, with the approval of Board of Governors.

(3) The Vice-Chancellor, or in his absence the Campus Director of the Head Quarter or the senior most Dean/Professor nominated by the Vice-Chancellor, shall convene and preside at the meeting of the Selection Committee:

Provided that the meeting of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of Vice-Chancellor's nominee and the experts nominated by the Board of Governors:

Provided further that the proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless,

(a) Where the number of Vice-Chancellor's nominee and the persons nominated by the Board of Governors is four in all, at least three of them attend the meeting; and

(b) Where the number of Vice-Chancellor's nominee and the persons nominated by the Board of Governors is three in all, at least two of them attend the meeting.

(4) The constitution and procedure to be followed by the Selection Committee shall be as laid down in the Ordinances.

20. Special Mode of Appointment.-(1) Notwithstanding anything contained in Section (19) of the Statute, the Board of Governors may invite a person of high academic distinction and professional attainments to accept a post of Professor or Associate Professor or any other equivalent academic post in the University in the manner, and as per the terms and conditions as laid down in the Ordinances:

Provided that the Board of Governors may also create supernumerary post for a specified period for appointment of such persons;

Provided further that the number of supernumerary posts so created should not exceed five per cent of the total posts in the University.

(2) The Board of Governors may appoint such academician working in any other University or organisation for undertaking a joint project in accordance with the manner laid down in the Ordinances.

21. Appointment for fixed tenure.-(1) The Vice-Chancellor may appoint an eligible person selected in accordance with the procedure laid down in Section 19 of Statute for a fixed tenure on such terms and conditions as it deems fit.

22. Committees.-(1) An authority of the University may appoint as many standing or special Committees as it may deem fit, and may appoint to such Committees persons who are not members of such authority.

(2) A Committee appointed under clause (1) may deal with any subject delegated to it subject to subsequent confirmation by the authority appointing it.

23. Terms and conditions of service and code of conduct of the teachers, etc. (1) All the teachers and other academic staff of the University shall, in the absence of any agreement to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and code of conduct, terminal benefits, retirement age etc. as per the norms prescribed as per the Central Government norms as amended from time to time , at par with other Institutions of National Importance.

(2) Emoluments, medical, Leave Rules, Leave Travel Concession (LTC),terminal benefits, allowances and other benefits of members of the academic staff and other terms and conditions of their service shall be as laid down in the Ordinances as per the Central Government norms as amended from time to time , at par with other Institutions of National Importance.

24. Terms and conditions of service and code of conduct of other employees.-(1) All the employees of the University, other than the teachers and other academic staff of the University, shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and code of conduct as are specified in the Ordinances and the Regulations and as per the norms prescribed as per the Central Government norms as amended from time to time , at par with other Institutions of National Importance.

(2) Emoluments, medical, Leave Rules, Leave Travel Concession(LTC), terminal benefits, allowances and other benefits of members of all the employees of the University, other than the teachers and other academic staff of the University other terms and conditions of their service shall be as laid down in the Ordinances as per the Central Government norms as amended from time to time , at par with other Institutions of National.

(3) Every person employed in Gujarat Campus as well as Delhi Campus of the University, immediately before such commencement, shall hold his office or service in the University by the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to pension, leave, gratuity, provident fund, and other matters as he would have held if this Act had not been passed, and shall continue to do so unless and until his employment is terminated or until such tenure, remuneration and terms and conditions are duly altered by the Statutes, not detrimental to the service conditions of such employee.

25. Benefits and Facilities for the Employees.-(1) The various benefits and facilities shall be available to the eligible employees as may be mentioned in the letter of appointments and the nature of such appointments held by them, as provided in Ordinance.

(2) **The vacation and leave:** The employees of the University shall be entitled to the vacation and leave as laid down in the ordinance.

26. Retirement Benefits. -(1) A Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme / General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme/ New Pension Scheme shall be constituted, maintained and administrated for the employees of the University, shall be such as may be prescribed as per the Central Government norms as amended from time to time , at par with other Institutions of National Importance.

27. Vacation and Leave.-(1) Every employee of the University shall entitled to vacation, leave, LTC and other benefits as provided in Ordinance as per the Central Government norms as amended from time to time , at par with other Institutions of National Importance.

(2) When an employee joins the University from any of the other Institutes or any Central University or any State University or any other Institute/Organisation of the Central/State Government, the leave to his credit on the date immediately before the date of such joining shall be carried forward and credited to his leave account subject to the prescribed limit of accumulation of leave. Provided that for this purpose the State University or any other Institute/Organization of the Central/State Government from which an employee joins the Institute will discharge the leave salary liability for such leave to be carried forward.

28. Residential Accommodation for Staff.-(1) The employees of the University will be eligible for allotment of a house within the campus of the University, if available, in accordance with the rules framed by the Board of Governors from time to time.

29. Seniority list.-(1) Whenever in accordance with the Statutes any person is to hold an office or be a member of an authority of the University by rotation according to seniority, such seniority shall be determined according to the length of continuous service of such person in his grade in the University and in accordance with such other principle as the Board of Governors may from time to time prescribe.

(2) It shall be the duty of the Executive Registrar to prepare and maintain, in respect of each class of persons to whom the provisions of these Statutes apply, a complete and up-to-date seniority list in accordance with the provisions of clause (1).

(3) If two or more persons have equal length of continuous service in a particular grade or the relative seniority of any person or persons is otherwise in doubt, the Executive Registrar may, on his own motion and shall at the request of any such person, submit the matter to the Board of Governors whose decision thereon shall be final.

30. Removal of employees of the University.- (1) Where there is an allegation of misconduct against a teacher, a member of the academic staff or other employee of the University, the Vice-Chancellor, in the case of the teacher or member of the academic staff, and the authority competent to appoint (hereinafter referred to as the appointing authority) in the case of other employee, may, by order, in writing place such teacher, member of the academic staff or other employee as the case may be under suspension and shall forthwith report to the Board of Governors the circumstances in which the order was made;

Provided that the Board of Governors may, if it is of the opinion that the circumstances of the case do not warrant the suspension of the teacher or a member of the academic staff, revoke such order.

(2) Notwithstanding anything contained in the terms of the contract of appointment or of any other terms and conditions of service of the employees, the Board of Governors in respect of teacher and other academic staff, and the appointing authority, in respect of other employees, shall have the power to remove a teacher or a member of the academic staff, or as the case may be, other employee on grounds of misconduct.

(3) Save as aforesaid, the Board of Governors, or as the case may be, the appointing authority shall not be entitled to remove any teacher, member of the academic staff or other employee except for a good cause and after three months' notice or on payment of three months' salary in lieu thereof.

(4) No teacher, member of the academic staff or other employee shall be removed under clause (2) or clause (3) unless he has been given reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him/her.

(5) The removal of a teacher, member of the academic staff or other employee shall take effect from the date on which the order of removal is made:

Provided that where the teacher, member of the academic staff or other employee is under suspension at the time of his removal, such removal shall take effect from the date on which he was placed under suspension.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Statute, a teacher, member of the academic staff or other employee may resign.

(a) If he is a permanent employee, only after giving three months' notice in writing to the Board of Governors or the appointing authority, as the case may be, or by paying three months' salary in lieu thereof;

(b) If he is not a permanent employee, only after giving one month's notice in writing to the Board of Governors or, as the case may be, the appointing authority or by paying one month's salary in lieu thereof;

Provided that such resignation shall take effect only on the date on which the resignation is accepted by the Board or the appointing authority, as the case may be.

31. Schools of Studies and Departments.-(1) The Board may from time to time create, continue, combine or close down any academic units such as departments, schools, research or other centres including service centres, divisions on the recommendation of the Academic Council. Present Schools, Centres and Departments at the University are as under:

(a) Schools of Studies

(1) School of Doctoral Studies & Research

(2) School of Pharmacy

(3) School of Engineering & Technology

(4) School of Forensic Science

(5) School of Cyber Security & Digital Forensics

(6) School of Open Learning

(7) School of Behavioural Science

(8) School of Management Studies

(9) School of Medico-Legal Studies

(10) School of Forensic Psychology

(11) School of Law, Forensic Justice and Police Studies

(12) School of Police Science & Security Studies

(b) Centres/Institutes/Cells:

(1) Training Institute

(2) Centre for International relations

(3) Cyber Defence Centre

(4) Center of Excellence for Narcotics Drugs and Psychotropic Substances

(5) Ballistics Research & Testing Centre

(6) International Centre for Humanitarian Forensics

(7) Centre for Futuristic Defence Studies

(8) Forensic Innovation Centre

(9) Buddha Psychological Centre

(10) Students' Placement Cell

(11) Publication Cell

(2) The University may have such other Schools of Studies and Departments as may be specified by the Statutes and Ordinances.

(3) Every school shall have a Board of Studies and the Board of Studies shall be nominated by the Vice Chancellor and shall hold office for a period of three years.

(4) The powers and functions of the Board of Studies shall be prescribed by the Ordinances.

(5) The conduct of the meeting of the Board of Studies and quorum required for such a meeting shall be prescribed by the Ordinances.

(6) Each school shall consist of such departments as may be assigned to it by the Ordinances.

(7) No School or Department shall be established or abolished except by the Statutes or Ordinances.

32. Boards of Studies.-(1) Each School shall have a Board of Studies.

(2) The constitution of a Board of Studies and the term of office of its members shall be prescribed by the Ordinances.

(3) The functions of a Board of Studies shall be to consider and recommend curriculum, teaching and examination scheme, panel of examiner, measures for the improvement of the standard of teaching and research, and other curricular aspects related to the programs offered under the respective schools.

33. Heads of Departments.-(1) In the case of Departments, which have more than one Professor, the senior most Professor in the Department shall be appointed on rotation basis as the Head of the Department by the Board of Governors on the recommendation of the respective Campus Director in consultation with the Vice-Chancellor.

(2) In the case of Departments, where there is only one Professor, the Professor or the senior most Associate Professor in the Department shall be appointed on rotation basis as the Head of the Department by the Board of Governors on the recommendation of the respective Campus Director in consultation with the Vice-Chancellor.

(3) In the case of Departments, where there is no Professor, the senior most Associate Professor in the Department shall be appointed on rotation basis as the Head of the Department by the Board of Governors on the recommendation of the respective Campus Director in consultation with the Vice-Chancellor.

(4) In the case of Departments, where there is neither Professor nor Associate Professor, the senior most Assistant Professor in the Department shall be appointed on rotation basis as the Head of the Department by the Board of Governors on the recommendation of the respective Campus Director in consultation with the Vice-Chancellor.

(5) It shall be open to a Professor, Associate Professor or Assistant Professor to decline the offer of appointment as the Head of the Department.

(6) A person appointed as the Head of the Department shall hold office as such for a period of three years and shall be eligible for reappointment:

Provided that the reappointment in such condition shall not exceed for more than two consecutive terms.

(7) A Head of a Department may resign his office at any time during his tenure of office.

(8) A Head of a Department shall perform such duties as may be prescribed by the Ordinances.

34. Admissions to Students.- (1) The University shall admit students in various UG, PG, Diploma and other courses in the constituent schools of its own campuses and its affiliated colleges based on the merits in the national level entrance test and in such manner as may be laid down in the Ordinances & regulations.

35. Admissions to Foreign Students.- (1) The University shall admit foreign students, Overseas Citizen of India card holder, Person of Indian Origin, non-resident Indian, children of Indian workers in Gulf and South-East Asian Countries, as per the policies of Government of India and in such manner and as laid down in the Ordinances.

36. Conferment of Honorary Degrees.-(1)The Board of Governors may, on the recommendation of the Academic Council and by a resolution passed by a majority of not less than two-third of the members present and voting, make proposals to the Chancellor for the conferment of honorary degrees:

Provided that in case of emergency, the Board of Governors may on its own motion, make such proposals.

(2) The Board of Governors, may by a resolution passed by a majority of not less than two-third of the members present and voting, withdraw, with the previous sanction of the Chancellor, any honorary degree conferred by the University.

37. Withdrawal of Degrees, etc.- The Board of Governors may, by a special resolution passed by a majority of not less than two-third of the members present and voting' withdraw any degree or academic distinction conferred on, or any certificate or diploma granted to, any person by the University for good and sufficient cause;

Provided that no such resolution shall be passed until a notice in writing has been given to that person calling upon him to show cause within such time as may be specified in the notice why such a resolution should not be passed and until his objections, if any, and any evidence he may produce in support of them, have been considered by the Board of Governors.

38. Resource Mobilization and Corpus or Endowment Fund.-(1) The University may raise its own resources from different sources such as Training, Consultation, Donations, Continuing Education, Distance Education, income from affiliation, etc. so that some of its additional needs may be met from such funds.

(2) The University may create its own Corpus Fund or Endowment to credit donations, wherever necessary to do so, savings from different funds and sources, and manage the funds through a structured system.

(3) The Board may create such suitable structures for the aforesaid purpose as it may deem appropriate with due accountability.

39. Technology Enhanced Learning Programmes.- The Academic Council may create suitable structures and procedures to promote Technology Enhanced Learning Programme including online education and also may lay down necessary norms and guidelines in this regard.

40. Maintenance of discipline among students of the University. -(1) All powers relating to discipline and disciplinary action in relation to students of the University shall vest in the Vice-Chancellor.

(2) The Vice-Chancellor may delegate all or any of his powers as he deems proper to a Campus Director and to such other officers as he may specify in this behalf.

(3) Without prejudice to the generality of his powers relating to the maintenance of discipline and taking such action, as may seem to him appropriate for the maintenance of discipline, the Vice-Chancellor may, in exercise of his powers, by order, direct that any student or students be expelled, or rusticated, for a specified period, or be not admitted to a course or courses of study in a College or Department of the University for a stated period, or be punished with fine for an amount to be specified in the order, or be debarred from taking an examination or examinations conducted by the University, College, Institution or Department or a School for one or more years, or that the results of the student or students concerned in the examination or examinations in which he or they have appeared be cancelled.

(4) The Deans of Schools of Studies, Heads of teaching Departments, Principals of affiliated Colleges in the University shall have the authority to exercise all such disciplinary powers over the students in their respective School, Colleges, and Departments.

(5) Without prejudice to the powers of the Vice-Chancellor, the Campus Director and other persons specified in clause (4) shall make detailed rules of discipline and proper conduct.

(6) At the time of admission, every student shall be required to sign a declaration to the effect that he submits himself to the disciplinary jurisdiction of the Vice-Chancellor and other authorities of the University.

41. Fees and Other Charges payable by the Students.-(1) The students admitted to the various programmes shall pay tuition fees at the time of first admission and thereafter every academic semester/year for pursuing the programme to which he or she is admitted, as may be prescribed in the policy decided by the Board from time to time.

(2) The Vice Chancellor shall decide in consultation with the Academic Council, the eligibility and guidelines for administering the financial assistance/ scholarship to the students.

42. Maintenance of discipline among Students of affiliated Colleges.-(1) All powers relating to discipline and disciplinary action in relation to Students of an affiliated College, not maintained by the University, shall vest in the Principal/Director/Head of the College as the case may be, in accordance with the procedure prescribed by the Ordinances.

43. Institution of Fellowships, Scholarships, Assistantships, Medals and Prize.-(1) The Board may institute from time to time Fellowships, Scholarships, Assistance ships, Medals and Prizes for awarding them to its students at undergraduate, postgraduate, research and post-doctoral and other levels.

(2) The University shall decide the value, numbers and conditions of award for each of them from time to time.

(3) In addition to the funds of the University for the above mentioned purposes, funds received from donations may also be utilised.

44. Convocations.-Convocations of the University for conferring of degrees or for other purposes shall be held in such manner as may be prescribed by the Ordinances.

45. Resignation.-Any member, other than an ex-officio member of the Court, the Board, the Academic Council or any other authority of the University or any committee of such authority may resign by letter addressed to the Executive Registrar and the resignation shall take effect as soon as such letter is received by the Executive Registrar.

46. Disqualifications.-(1) A Person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of any of the authorities of the University;

(a) if he is of unsound mind;

(b) if he is an undischarged insolvent;

(c) if he has been convicted by a court of law of an offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months.

(2) If any question arises as to whether a person is or had been subjected to any of the disqualifications mentioned in clause (1), the question shall be referred to the Chancellor and his decision shall be final.

47. Membership of authorities by virtue of membership of other bodies.-Notwithstanding anything contained in the Statutes, a person who holds any post in the University or is a member of any authority or body of the University in his capacity as a member of a particular authority or body or as the holder of a particular appointment, shall hold such office or membership only for so long as he continues to be a member of that particular authority or body or the holder of that particular appointment, as the case may be.

48. Alumni Association.-(1) There shall be an Alumni Association for the University.

(2) The subscription for membership of the Alumni Association shall be prescribed by the Ordinances.

(3) No member of the Alumni Association shall be entitled to vote or stand for election unless he has been a member of the Association for at least one year prior to the date of the election and is a degree holder of the University of at least five years standing;

Provided that the condition relating to the completion of one year's membership shall not apply in the case of the first election.

49. Ordinances, how to be made.-The first Ordinances made under section 43 of the Act may be amended, repealed or added to at any time by the Board of Governors in the manner specified below:

(a) The Board of Governors shall have powers to amend any draft of any Ordinance proposed by the Academic Council under section 43 of the Act. It may reject the proposal or return the draft to the Academic Council for reconsideration, either in whole or in part, together with any amendment which the Board of Governors may suggest.

(b) Where the Board of Governors has rejected or returned the draft of an Ordinance proposed by the Academic Council, the Academic Council may consider the question afresh and in case the original draft is reaffirmed by a majority of not less than two-third of the members present and voting and more than half the total number of members of the Academic Council, the draft may be sent back to the Board of Governors which shall either adopt it or refer it to the Chancellor whose decision shall be final.

(c) Every Ordinance approved by the Board of Governors shall come into effect immediately.

(d) Every Ordinance made by the Board of Governors shall be submitted to the Chancellor within two weeks from the date of its adoption. The Chancellor shall have the power to direct the University within four weeks of the receipt of the Ordinance to suspend the operation of any such Ordinance and he shall, as soon as possible, inform the Board of Governors about his objection to the proposed Ordinance. The Chancellor may, after receiving the comments of the University, either withdraw the order suspending the Ordinance or disallow the Ordinance, and his decision shall be final.

50. Regulations.-The authorities of the University may make Regulations consistent with the Act, the Statutes, and the Ordinances for the following matters, namely:

(a) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum.

(b) providing for all matters which are required by the Act, the Statutes or the Ordinances to be prescribed by Regulations;

(c) providing for all other matters solely concerning such authorities or committees appointed by them and not provided for by the Act, the Statutes or the Ordinances.

51. Delegation of powers.-Subject to the provisions of the Act and the Statutes, any officer or authority of the University may delegate his or its powers to any other officer or authority or person under his or its respective control.

52. Continuing Education Programmes.-The Academic Council may create suitable structures and procedures to offer Continuing Education Programmes by the University. It may lay down suitable norms and guidelines in this regard.

53. Creation of Entities to Promote Academic and Research Excellence.-The Board of Governors may lay down suitable norms and guidelines for establishing entities such as Special Purpose Vehicle (SPV), under section 8 of the Companies Act, 2013 and Societies Registration Act,1860 (21 of 1860) to promote Academic and Research Excellence.

54. Interpretation of the Statutes.- The decision of the Board of Governors on all questions relating to the interpretation of these Statutes and the provisions therein shall be final.

C.D. JADEJA, Executive Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./297/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.05 14:40:05 +05'30'